



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062026-273248
CG-DL-E-08062026-273248

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948

No. 395]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2026

सा.का.नि. 442(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

प्रथम अध्याय

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला विनियम (एक्सचेंज) नियम, 2026 होगा।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं. (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है;

(ख) "संबद्ध" से किसी इकाई के संबंध में संबद्ध व्यक्ति अथवा संबद्ध व्यक्ति के संबंध में इकाई अभिप्रेत है

- (i) जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः या एक अथवा अधिक मध्यस्थों के माध्यम से, यथास्थिति, इकाई अथवा संबद्ध व्यक्ति के प्रबंधन, नियंत्रण अथवा पूंजी में भाग लेता है;
- (ii) जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, यथास्थिति, इकाई अथवा संबद्ध व्यक्ति में मताधिकार शक्ति का कम से कम छब्बीस प्रतिशत वहन करने वाले शेयर धारण करता है;
- (iii) जो, यथास्थिति, इकाई अथवा संबद्ध व्यक्ति के निदेशक मंडल या बोर्ड के सदस्यों में से आधे से अधिक अथवा एक या अधिक कार्यकारी निदेशकों या बोर्ड के कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति करता है; अथवा
- (iv) जो, यथास्थिति, इकाई अथवा संबद्ध व्यक्ति की कुल उधारियों के कम से कम दस प्रतिशत की गारंटी देता है;

(ग) "सहयोगी", किसी व्यक्ति के संबंध में, अन्य व्यक्ति को भी अंतर्विष्ट करता है;

- (i) जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, प्रथम व्यक्ति पर नियंत्रण का प्रयोग करता है;
- (ii) जो प्रथम व्यक्ति की कुल मताधिकार शक्ति के कम से कम बीस प्रतिशत का नियंत्रण धारण करता है;
- (iii) जो प्रथम व्यक्ति की धारक कंपनी अथवा सहायक कंपनी है;
- (iv) जो प्रथम व्यक्ति का, कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित, रिश्तेदार है;
- (v) जो ऐसे हिंदू अविभक्त परिवार का सदस्य है जिसका प्रथम व्यक्ति भी सदस्य है;
- (vi) ऐसे अन्य मामले जिनमें प्राधिकरण का यह मत हो कि नियंत्रण की सीमा, स्वतंत्रता, हितों के टकराव सहित तथ्यों और कारकों के आधार पर किसी व्यक्ति को सहयोगी माना जाएगा;

(घ) "प्राधिकरण" से कोयला नियंत्रक संगठन अभिप्रेत है;

(ङ) "स्वचालित संपरीक्षा अनुक्रम" से कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली में संव्यवहारों के समय-अनुक्रमित अभिलेख का स्वचालित सृजन और संरक्षण अभिप्रेत है, जिसमें बाद की तारीख में संदर्भ हेतु सृजन, संशोधन अथवा लोप अंतर्विष्ट है;

(च) "बोली" से ऐसा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का सदस्य किसी संविदा के संबंध में संव्यवहार करने के प्रयोजन हेतु मूल्य, मात्रा, गुणवत्ता अथवा अन्य कोई विनिर्देश प्रस्तुत करता है;

(छ) "बोली प्रकार" से कोयला विनिमय (एक्सचेंज) पर संव्यवहित की जाने वाली प्रत्येक संविदा के संबंध में लागू विनिर्देशों द्वारा विभेदित बोलियों की श्रेणी अभिप्रेत है;

(ज) "बोर्ड" से कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का निदेशक मंडल अभिप्रेत है;

(झ) "उपनियम" से कोयला विनिमय (एक्सचेंज) में प्रबंधन और व्यापार के प्रयोजनों हेतु कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा निर्मित मूलभूत रूपरेखा से संबंधित उपबंध अभिप्रेत हैं, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है;

(ञ) "कार्टेलीकरण" से बाजार सहभागियों का कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा वे कोयले के भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन, विक्रय, मूल्य, व्यापार अथवा संव्यवहार को सीमित, नियंत्रित अथवा सीमित या नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं;

(ट) "परिपत्र व्यापार" से किसी सदस्य अथवा सदस्यों के समूह द्वारा ऐसा व्यापार अथवा संव्यवहार अभिप्रेत है जिसमें ऐसे सदस्य अथवा समूह की एक या अधिक इकाइयां क्रय बोलियां प्रविष्ट करती हैं तथा दूसरी ओर उसी सदस्य अथवा समूह की एक या अधिक इकाइयां विक्रय बोलियां प्रविष्ट करती हैं अथवा इसके विपरीत, जिसका आशय कोयले के मूल्य में हेरफेर करना, कृत्रिम बाजार बनाना अथवा प्रणाली का कपटपूर्ण या दुरुपयोग करना होता है;

(ठ) "समाशोधन" से कोयला विनिमय (एक्सचेंज) में संव्यवहार के निष्कर्षण से उत्पन्न कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के सदस्यों के दायित्वों का निर्धारण करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ड) "ग्राहक" से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जिसने ऐसे सदस्य के माध्यम से व्यवहार करने के प्रयोजन हेतु कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के किसी सदस्य के साथ करार किया है;

(ढ) "कोयला" से कोयला अथवा लिग्नाइट, जिनमें उनके संसाधित रूप भी अंतर्विष्ट हैं, अभिप्रेत है;

(ण) "कोयला विनिमय (एक्सचेंज)" से अधिनियम की धारा 3 के खंड (कक) में निर्दिष्ट खनिज विनिमय (एक्सचेंज) अभिप्रेत है, जहां कोयले के क्रेता और विक्रेता ऑनलाइन मंच पर संव्यवहार, व्यापार और संविदाएं करते हैं;

(त) "कोयला नमूना अभिकरण" से कोयला नमूनों के संग्रहण, तैयारी, परीक्षण, विश्लेषण और प्रलेखन हेतु प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध अथवा मान्यता प्राप्त कोई तृतीय पक्ष अभिप्रेत है;

(थ) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है;

(द) "संविदा" से कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा अनुमोदित तथा कोयला विनिमय (एक्सचेंज) में संव्यवहार हेतु उपलब्ध कराई गई कोई परिदान-आधारित संविदा अभिप्रेत है;

(ध) "संविदात्मक विचलन से संविदा में सहमत निबंधनों, शर्तों, विनिर्देशों अथवा दायित्वों से कोई विचलन अभिप्रेत है;

(न) "निदेशक" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (34) में यथापरिभाषित निदेशक अभिप्रेत है;

(प) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(फ) "स्वतंत्र निदेशक" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (47) में यथापरिभाषित निदेशक अभिप्रेत है;

(ब) "अंदरूनी व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,

(क) जो संबंधित घटना से पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के दौरान प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी भी हैसियत में कोयला विनियम (एक्सचेंज) से संबद्ध है या रहा है, जिसमें उसके अधिकारी के साथ बारंबार संचार, किसी संविदात्मक, प्रत्ययी अथवा नियोजन संबंध में होना, अथवा कोयला विनियम (एक्सचेंज) का निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी होना, अथवा कोयला विनियम (एक्सचेंज) के साथ किसी व्यावसायिक या पेशेवर संबंध सहित स्थायी या अस्थायी कोई पद धारण करना अंतर्विष्ट है, जिससे ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कोयला विनियम (एक्सचेंज) में संव्यवहारों से संबंधित अप्रकाशित मूल्य-संवेदी सूचना तक पहुंच प्राप्त होती है; अथवा

(ख) जो कोयला विनियम (एक्सचेंज) में संव्यवहारों से संबंधित अप्रकाशित मूल्य-संवेदी सूचना के कब्जे में है अथवा जिसकी उस तक पहुंच है; अथवा

(ग) जिसने देश में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध करके अप्रकाशित मूल्य-संवेदी सूचना अर्जित की है;

(भ) "अंदरूनी व्यापार" से अभिप्रेत है,-

(क) किसी भी अप्रकाशित मूल्य-संवेदी सूचना का किसी व्यक्ति को, जिसमें अन्य अंदरूनी व्यक्ति भी अंतर्विष्ट है, संप्रेषण, उपलब्ध कराना अथवा उस तक पहुंच की अनुमति देना, सिवाय वहां जहां ऐसा संप्रेषण वैध प्रयोजनों, कर्तव्यों के पालन अथवा किसी विधिक दायित्व के निर्वहन के लिए हो; अथवा

(ख) अप्रकाशित मूल्य-संवेदी सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति को कोयला विनियम (एक्सचेंज) पर ऐसी किसी संविदा के अर्जन या व्ययन की अनुशंसा करना जिससे वह सूचना संबंधित हो;

(म) "प्रबंध निदेशक" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (54) में यथापरिभाषित निदेशक अभिप्रेत है;

(य) "बाजार" से कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के माध्यम से ऐसा मंच अभिप्रेत है जहां क्रेता और विक्रेता कोयले का क्रय अथवा विक्रय करते हैं:

(कक) "बाजार हेरफेर से अभिप्रेत है,-

- (i) किसी बाजार सहभागी द्वारा कोयला विनिमय (एक्सचेंज) पर ऐसा संव्यवहार करना, जो -
 - (क) किसी संविदा की आपूर्ति, मांग अथवा मूल्य के संबंध में मिथ्या अथवा भ्रामक संकेत देता है या देने की संभावना रखता है;
 - (ख) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के किसी सदस्य अथवा ग्राहक द्वारा उसी कोयले को प्राप्त करने के हकदार अन्य लाभार्थियों को आपूर्ति सीमित करते हुए अपेक्षाकृत उच्च विक्रय मूल्य सुरक्षित करने का प्रयास करता है;
- (ii) मीडिया के माध्यम से ऐसी सूचना का प्रसार करना जो किसी संविदा की आपूर्ति, मांग अथवा मूल्य के संबंध में मिथ्या अथवा भ्रामक संकेत देती है या देने की संभावना रखती है।

(कख) "बाजार सहभागी" में कोयला विनिमय (एक्सचेंज), उसके सदस्य, ग्राहक, कोयला नमूना एजेंसियां तथा कोयला विनिमय (एक्सचेंज) में संव्यवहार करने वाले अन्य पक्ष और प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अन्य कोई इकाई अंतर्विष्ट है;

(कग) "बाजार निगरानी समिति" से नियम 27 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;

(कघ) "सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अनुसार कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की सदस्यता प्रदान की गई है;

(कड) "निवल मूल्य" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (57) में यथापरिभाषित निवल मूल्य अभिप्रेत है;

(कच) "सहमति से कार्य करने वाले व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (क्यू) में उसे निर्दिष्ट किया गया है;

(कछ) "निपटान" से कोयला विनिमय (एक्सचेंज) पर संव्यवहार के निष्कर्षण से उत्पन्न सदस्यों अथवा उनके ग्राहकों के दायित्वों के निर्वहन की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(कज) "निपटान गारंटी निधि" से कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा सृजित और अनुरक्षित ऐसी निधि अभिप्रेत है जिसका उपयोग उसके सदस्यों अथवा ऐसे सदस्यों के ग्राहकों के व्यक्तिक्रमों के निपटान हेतु किया जाएगा, जैसा कि कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की व्यक्तिक्रम-उपचार प्रणाली में विनिर्दिष्ट है, और जिसमें प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा निर्धारित निधियां अंतर्विष्ट होंगी;

(कझ) "शेयरधारक निदेशक" से कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का ऐसा निदेशक अभिप्रेत है जो शेयरधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित अथवा नामनिर्दिष्ट किया जाता है;

(कण) "संव्यवहार शुल्क" से कोयला विनिमय (एक्सचेंज) में संव्यवहारों के लिए सदस्यों द्वारा देय शुल्क अभिप्रेत है;

(कट) "अप्रकाशित मूल्य-संवेदी सूचना" से कोयला विनिमय (एक्सचेंज) पर संव्यवहित संविदाओं से संबंधित ऐसी कोई सूचना अभिप्रेत है जो सामान्यतः उपलब्ध नहीं है और जो सामान्यतः उपलब्ध हो जाने पर ऐसी संविदा के मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की संभावना रखती है तथा इसमें साधारणतः, किंतु केवल उसी तक सीमित नहीं, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संविदा से संबंधित सूचना अंतर्विष्ट होगी।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः निर्दिष्ट किए गए हैं।

द्वितीय अध्याय संविदाओं के घटक

3. कोयला विनिमय (एक्सचेंज) पर संव्यवहित संविदा के घटक.- (1) मूल्य खोज कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा ऐसी प्रणाली के माध्यम से की जाएगी जो निष्पक्ष, तटस्थ, प्रतिस्पर्धात्मक और दक्ष मूल्यों को सुनिश्चित करती हो।

(2) बोली और मूल्य खोज प्रणाली का संचालन कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के प्रस्ताव के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्राक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(3) संव्यवहारों का निर्धारण और परिदान विक्रेताओं, क्रेताओं तथा अन्य संबंधित बाजार सहभागियों के मध्य समन्वय से, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संविदा के अनुसार किया जाएगा।

(4) परिदत्त कोयले की गुणवत्ता का सत्यापन कोयला नमूना अभिकरण द्वारा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संविदा के अनुसार किया जाएगा।

4. संविदा और निपटान की शर्तें.- (1) संविदा की धाराओं के अनुसार किसी संविदा को निरस्त अथवा परिसीमित किया जा सकेगा।

(2) संविदा के अधीन संव्यवहारों के संदायों का निपटान नियम 22 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(3) व्यापारित कोयले के अंतिम मूल्य का समायोजन, निष्पादित संविदा की मूल्य-समायोजन प्रणाली तथा कोयला नमूना अभिकरण द्वारा जारी गुणवत्ता प्रमाणन के आधार पर, व्यापारित कोयले की गुणवत्ता के अनुसार किया जाएगा।

(4) वास्तव में प्रेषित मात्रा और व्यापारित मात्रा के मध्य किसी भी अंतर का समाधान निष्पादित संविदा में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

तृतीय अध्याय
कोयला विनिमय (एक्सचेंज)

5. कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के उद्देश्य.- कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की स्थापना और संचालन कोयला आपूर्ति संविदाओं के निर्माण तथा ऐसी संविदाओं के संव्यवहारों को सुगम बनाने, निष्पक्ष, पारदर्शी, तटस्थ, दक्ष और सुदृढ़ मूल्य खोज एवं प्रसार सुनिश्चित करने तथा संविदा के निबंधनों के अनुसार कोयले की दक्ष और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्यों से किया जाएगा।

6. पात्रता मानदंड.- कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की स्थापना के लिए, आवेदक को कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा,-

(क) आवेदक, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन निगमित शेयरों द्वारा सीमित कंपनी होगी;

(ख) आवेदक अम्यूच्युलीकृत होगा;

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "अम्यूच्युलीकृत" पद से अभिप्रेत है कि इन नियमों के अनुसार आवेदक का स्वामित्व और प्रबंधन व्यापारिक अधिकारों से पृथक होगा;

(ग) आवेदक का निवल मूल्य पचास करोड़ रुपये से कम नहीं होगा, जैसा कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने हेतु आवेदन दाखिल किए जाने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तीस दिनों की अवधि के भीतर किसी तारीख को तैयार की गई संपरीक्षित विशेष तुलनपत्र में प्रदर्शित किया गया हो;

(घ) आवेदक के निदेशक, नियम 16 के अनुसार निदेशक मंडल में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे;

(ङ) आवेदक, नियम 13 के अधीन स्वामित्व संबंधी अपेक्षाओं तथा नियम 15 के अधीन शासन संरचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

7. रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन और दस्तावेज.- (1) आवेदक अनुसूची से उपाबद्ध प्ररूप-क में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) आवेदक तीन लाख रुपये का एकमुश्त, अप्रतिदेय आवेदन शुल्क संदाय करेगा और कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के रजिस्ट्रीकरण हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्,-

(क) कंपनी का ज्ञापन और संगम अनुच्छेद;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने हेतु आवेदन दाखिल किए जाने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तीस दिनों की अवधि के भीतर किसी तारीख को तैयार की गई संपरीक्षित विशेष तुलनपत्र, जिसमें आवेदक का निवल मूल्य दर्शाया गया हो;

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखाओं की प्रतियां;

(घ) निम्नलिखित विवरणों सहित परियोजना रिपोर्ट, अर्थात्:-

(i) प्रस्तावित कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का गठन;

(ii) प्रस्तावित कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की व्यवसाय योजना, जिसमें वित्तपोषण के स्रोत अंतर्विष्ट हों;

(iii) प्रस्तावित कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की प्रबंधन और प्रशासनिक संरचना;

(iv) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के लिए उपलब्ध अथवा अर्जित की जाने वाली आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं;

(v) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के विकास, स्थापना और प्रचालन में लाए जाने की समय-सीमा।

(3) नियम 17 में विनिर्दिष्ट विषयों पर प्रस्तावित कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के प्रारूप उपनियम और प्रारूप प्रचालन प्रक्रियाएं।

8. आवेदन के प्रसंस्करण की प्रक्रिया.- (1) प्राधिकरण आवेदन का पूर्ण विवरण प्राधिकरण अथवा कोयला मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचित करेगा और ऐसे नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करेगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा मांगी गई किसी टिप्पणी अथवा सूचना का उत्तर आवेदक द्वारा प्राधिकरण की जिज्ञासा प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर दिया जाएगा।

(3) प्राधिकरण ऐसी अतिरिक्त सूचना अथवा दस्तावेज मांग सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(4) प्राधिकरण, आवेदन पर सम्यक विचार करने तथा इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि आवेदक नियम 6 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, आवेदक को कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की स्थापना हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का प्रस्ताव कर सकेगा।

(5) जहां प्राधिकरण आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का प्रस्ताव करता है, वहां वह किसी और आक्षेप अथवा सुझाव आमंत्रित करने के लिए सात दिनों की अवधि हेतु अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने प्रस्ताव की सूचना सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित करेगा।

(6) प्राधिकरण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के आवेदन को अनुमोदित अथवा अस्वीकृत करेगा।

(7) प्राधिकरण, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, इस नियम में विनिर्दिष्ट किसी भी समय-सीमा का विस्तार कर सकेगा।

9. रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना और नवीकरण.- (1) प्राधिकरण, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो तथा ऐसी सूचना प्राप्त करने के पश्चात् जिसकी उसे अपेक्षा हो, ऐसी शर्तों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा जिन्हें वह उचित समझे, अथवा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकृत करेगा।

(2) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का रजिस्ट्रीकरण, जब तक कि ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहित अथवा रद्द न कर दिया जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने की तारीख से पच्चीस वर्षों की अवधि के लिए होगा।

(3) प्राधिकरण, कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा दाखिल आवेदन पर, अनुसूची से उपाबद्ध प्ररूप-ख में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण का और पच्चीस वर्षों की अवधि के लिए नवीकरण कर सकेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन, रजिस्ट्रीकरण की अवधि समाप्त होने से एक वर्ष पूर्व कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) यदि रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन विनिर्दिष्ट समय के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विलंब को क्षमा कर सकेगा।

(6) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच अथवा बाजार, जहां कोयले के क्रेता और विक्रेता संव्यवहार, व्यापार और संविदा करते हैं, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व प्रचालन में था, अपने प्रचालन जारी रखने के लिए इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करेगा और रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा:

परंतु यह कि यदि ऐसा कोई मंच अथवा बाजार प्रथम कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के प्रचालन में आने के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर इन नियमों के अनुसार कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं होता है, तो ऐसा मंच अथवा बाजार अस्तित्व में नहीं रहेगा।

10. शुल्क और प्रभार.- कोयला विनिमय (एक्सचेंज) संदाय करेगा,-

(i) पचास लाख रुपये का एकमुश्त रजिस्ट्रीकरण शुल्क;

(ii) तीन लाख रुपये का आवेदन शुल्क; और

(iii) संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान विनिमय (एक्सचेंज) पर व्यापार मूल्य (करों को छोड़कर) का तीस लाख रुपये अथवा 0.02%, जो भी अधिक हो, वार्षिक शुल्क के रूप में, जो पांच करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

11. प्राधिकरण द्वारा विशेषज्ञों की नियुक्ति.- (1) प्राधिकरण, सहायता प्राप्त करने के प्रयोजनों हेतु, केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय अथवा विभाग या किसी केंद्रीय सरकार के लोक क्षेत्र उपक्रम अथवा किसी सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के पैनल पर विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा।

(2) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के कार्यों और उनसे आनुषंगिक विषयों से संबंधित प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण के कार्यालय के किसी अन्य कार्य में संलग्न नहीं होंगे।

12. आवेदक का निवल मूल्य.- कोयला विनिमय (एक्सचेंज) हर समय पचास करोड़ रुपये का न्यूनतम निवल मूल्य बनाए रखेगा:

परंतु यह कि जहां किसी कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का निवल मूल्य किसी भी समय पचास करोड़ रुपये से कम हो जाता है, वहां प्राधिकरण, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, कोयला विनिमय (एक्सचेंज) को ऐसी अवधि प्रदान कर सकेगा जो इस नियम में विनिर्दिष्ट स्तर तक निवल मूल्य को पुनर्स्थापित करने हेतु आवश्यक समझी जाए।

13. कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की स्वामित्व संरचना.- (1) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) में समता धारकों के लिए शेयरधारण प्रारूप निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होगा, अर्थात:-

(क) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का कोई सदस्य अथवा ग्राहक किसी भी समय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, व्यक्तिगत रूप से अथवा सहयोगियों, संबद्धों अथवा सहमति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की प्रदत्त समता शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत से अधिक अर्जित अथवा धारित नहीं करेगा; और

(ख) किसी भी समय कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के किसी सदस्य अथवा ग्राहक द्वारा, समष्टि में, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, व्यक्तिगत रूप से अथवा सहयोगियों, संबद्धों अथवा उनमें से किसी के लिए सहमति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से, कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की प्रदत्त समता शेयर पूंजी का उनकास प्रतिशत से अधिक अर्जित अथवा धारित नहीं किया जाएगा।

(2) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के किसी सदस्य अथवा ग्राहक से भिन्न कोई व्यक्ति, कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के रजिस्ट्रीकरण के पांच वर्ष पश्चात् किसी भी समय, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अथवा सहयोगियों, संबद्धों अथवा

सहमति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की प्रदत्त समता शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत से अधिक अर्जित अथवा धारित नहीं करेगा:

परंतु यह कि ऐसे व्यक्तियों को कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के रजिस्ट्रीकरण के पांच वर्षों के भीतर पच्चीस प्रतिशत से अधिक की अपनी शेयरधारिता का विनिवेश करना अपेक्षित होगा।

14. कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की सूचना का प्रकटन.- (1) कोयला विनिमय (एक्सचेंज), प्रत्येक वर्ष अप्रैल के तीसवें दिन को अथवा उससे पूर्व, अनुसूची से उपाबद्ध प्ररूप-ग के अनुसार, उस वर्ष के इकतीस मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी श्रेणी-वार शेयरधारण प्ररूप का प्रकटन प्राधिकरण के समक्ष करेगा, अथवा जब भी शेयरधारण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो अथवा जब-जब प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया जाए।

(2) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) अपने शेयरों के निर्गम अथवा अंतरण से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों का कम से कम आठ वर्षों की अवधि तक अनुरक्षण और संरक्षण करेगा तथा ऐसे दस्तावेजों को प्राधिकरण को जब-जब निर्देशित किया जाए उपलब्ध कराएगा।

15. कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की शासन संरचना.- (1) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का निदेशक मंडल निम्नलिखित श्रेणियों के निदेशकों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

- (क) शेयरधारक निदेशक;
- (ख) स्वतंत्र निदेशक; और
- (ग) प्रबंध निदेशक।

(2) बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या शेयरधारक निदेशकों की संख्या से कम नहीं होगी:

परंतु यह कि इस प्रयोजन हेतु प्रबंध निदेशक को शेयरधारक निदेशक की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र निदेशक कार्य के विविध क्षेत्रों से चयनित किए जाएं और किसी व्यक्ति को स्वतंत्र निदेशक के रूप में विनिश्चित करते समय कोयला विनिमय (एक्सचेंज) निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखेगा, अर्थात्:-

- (क) विधि, वित्त, लेखांकन, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, प्रशासन अथवा कोयला बाजारों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में योग्यताएं रखने वाले व्यक्ति;
- (ख) वित्त अथवा लेखों में अनुभव और पृष्ठभूमि रखने वाला कम से कम एक व्यक्ति सम्मिलित किया जाएगा;
- (ग) प्रतिष्ठित संगठनों में विश्वास और उत्तरदायित्व के पद धारण करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसे पदों से सेवानिवृत्त व्यक्ति;
- (घ) ऐसे व्यक्ति जिनका कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की वाणिज्यिक संविदाओं और वित्तीय मामलों में हितबद्ध पद होने की संभावना हो, अपवर्जित किए जाएंगे;
- (ङ) ऐसे व्यक्ति जो कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की प्रवर्तक इकाई के बोर्ड में निदेशक हों, अपवर्जित किए जाएंगे;
- (च) ऐसे व्यक्ति जो कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के किसी सदस्य अथवा ग्राहक के साथ किसी प्रत्ययी संबंध में हों, अपवर्जित किए जाएंगे।

(4) प्रबंध निदेशक कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करेगा और कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के दैनिक कार्यों से संबंधित सभी शक्तियां उसमें निहित होंगी।

- (5) प्रबंध निदेशक अथवा कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का कोई कर्मचारी प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के किसी सदस्य अथवा ग्राहक या सहभागी अथवा उसकी धारक या सहायक कंपनी से संबद्ध नहीं होगा।
- (6) प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के सदस्यों की व्यक्तिगत बोलियों का विवरण बोर्ड के साथ साझा न किया जाए।
- (7) शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, तत्पश्चात् शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और सूचना हेतु प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (8) शेयरधारक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के निर्वाचन, नियुक्ति, पदावधि, त्यागपत्र और पद रिक्त होने की रीति कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के सुसंगत उपबंधों द्वारा शासित होगी।
- (9) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का कोई सदस्य अथवा उसका ग्राहक किसी भी कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के निदेशक मंडल में नहीं होगा।
- (10) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अनुसार सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के नाम प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे।

16. बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु योग्यताएं और निरर्हताएं.- (1) बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र वाला होगा तथा निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का अभिलेख रखेगा।

(2) उसके पास विधि, वित्त, लेखांकन, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, प्रशासन अथवा कोयला बाजारों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में योग्यताएं होनी चाहिए।

(3) कोई व्यक्ति बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति अथवा निरंतरता हेतु निरर्हित माना जाएगा, यदि वह व्यक्ति,-

(क) किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता, कपट, किसी आर्थिक अपराध अथवा किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो और दोषसिद्धि की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो;

परंतु यह कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो और उसके संबंध में सात वर्ष अथवा उससे अधिक के कारावास का दंड दिया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कोयला विनिमय (एक्सचेंज) में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कभी पात्र नहीं होगा;

(ख) भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कंपनी के बोर्ड में निदेशक का पद धारण करने से अवरुद्ध, प्रतिषिद्ध अथवा वर्जित किया गया हो; अथवा

(ग) परिसमापन कार्यवाही में किसी सक्षम न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा उसके विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित किया गया हो; अथवा

(घ) अनुमोचित दिवालिया हो; अथवा

(ङ) दिवालिया घोषित किए जाने हेतु आवेदन किया हो और वह आवेदन लंबित हो; अथवा

(च) सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विकृतचित्त पाया गया हो और ऐसा निष्कर्ष प्रवृत्त हो।

(4) कोई व्यक्ति, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निदेशक की नियुक्ति के लिए विहित किसी निरर्हता से ग्रस्त है, बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति अथवा बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) यदि कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का कोई अंशधारक इस नियम के उप-नियम (2) और (3) में उल्लिखित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, तो ऐसा अंशधारक या उसका नामनिर्देशिती बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से वर्जित होगा।

17. कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के उपनियम और प्रचालन प्रक्रियाएं.- (1) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) अपने उपनियमों और प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करेगा, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(2) प्राधिकरण ऐसे उपनियमों और प्रचालन प्रक्रियाओं के भाग के रूप में आच्छादित किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं को अधिसूचित करेगा।

(3) उपनियमों और कारोबार नियमों में कोई संशोधन प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

परन्तु प्राधिकारी, एक अलग आदेश द्वारा, उपनियमों और प्रचालन प्रक्रियाओं के कतिपय उपबंधों के संशोधन के लिए पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा को समाप्त कर सकेगा;

परन्तु ऐसे संशोधनों को, सभी मामलों में, प्रभावी होने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित होगा;

और परन्तु यह कि बोर्ड द्वारा इस प्रकार अनुमोदित प्रत्येक संशोधन को अनुमोदन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकारी को अधिसूचित किया जाएगा और कोयला विनिमय निरीक्षण के लिए ऐसे सभी संशोधनों का रिकॉर्ड रखेगा।

18. कोयला विनिमय के सदस्यों के बारे में सूचित करना.- (1) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) अपने सदस्यों का विवरण अनुसूची के साथ उपाबद्ध प्ररूप-घ में प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां किसी सदस्य के संव्यवहार में इन नियमों के उल्लंघन में कोई विसंगति पाई जाती है, प्राधिकारी, जांच के बाद, जैसा कि वह उचित समझे और ऐसे सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के बाद, कोयला विनिमय (एक्सचेंज) को ऐसे सदस्य की सदस्यता को प्रतिबंधित या रद्द करने का निर्देश दे सकता है और ऐसा निदेश कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के लिए किसी भी कार्रवाई के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(3) प्राधिकारी कोयला विनिमय (एक्सचेंज) को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनलों को देखने और कोयले के व्यापार को संभालने वाले कर्मियों के लिए अर्हता परीक्षण शुरू करने का निर्देश दे सकता है।

(4) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) सदस्यता के लिए मानदंड निर्धारित करेगा, जिसमें निवल मूल्य, न्यूनतम आधार पूंजी, प्रतिभूति जमा अपेक्षा और तरल आस्ति की अपेक्षा शामिल है।

(5) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) सदस्यता प्राप्त करने के लिए सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए सहायक दस्तावेजों को बनाए रखेगा, जिसमें कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा निर्दिष्ट किसी भी मानदंड के अनुपालन को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज शामिल हैं और प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्राधिकारी को ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे तथा सदस्य द्वारा सदस्यता छोड़ने या कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का सदस्य नहीं रहने के बाद दस्तावेजों का रखरखाव कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा:

परन्तु प्राधिकारी आदेश द्वारा, ऐसे दस्तावेजों के संरक्षण की अवधि को उन मामलों में बढ़ा सकता है जहां किसी सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही या जांच लंबित है।

19. कोयला विनिमय संव्यवहार शुल्क.- (1) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) को कोयला विनिमय द्वारा प्रभारित किए जाने वाले संव्यवहार शुल्क का व्यौरा प्राधिकारी को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, जो कि संविदाओं के प्रकार या संव्यवहार की मात्रा या संव्यवहार की अवधि या ऐसे अन्य कारकों के आधार पर जो विनिमय प्रचालन के प्रारंभ होने

की तारीख से पहले कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं, परंतु ऐसा संव्यवहार शुल्क प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन होगा।

(2) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) को विनिमय प्रचालन प्रारंभ करने से पूर्व कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा प्रभारित किए जाने वाले किसी अन्य प्रभार या शुल्क का ब्यौरा प्राधिकारी को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, परंतु ऐसे प्रभार या शुल्क प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा, यदि कोई हो, से अधिक न हों।

20. प्राधिकारी द्वारा अनुबंधों का अनुमोदन या निलंबन.- (1) प्राधिकारी, स्वयं या इस निमित्त किए गए आवेदन पर, कोयला विनिमय को नए अनुबंध शुरू करने की अनुमति दे सकता है:

परन्तु कोयला विनिमय (एक्सचेंज), पणधारियों के साथ परामर्श करने के बाद, प्राधिकारी को सूचित करते हुए, ऐसे परामर्श के विवरण और कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के विचारों के साथ प्राधिकारी को सूचित करते हुए, नई बोली प्रकार शुरू कर सकता है या संविदाओं के प्रकार और विशेषताओं के अनुरूप विद्यमान बोली प्रकारों को संशोधित कर सकता है।

(2) कोई भी कोयला विनिमय (एक्सचेंज) जो उप-नियम (1) के अधीन एक नया अनुबंध शुरू करने की अनुमति चाहता है, प्राधिकारी को निम्नलिखित विवरणों के साथ पूर्ण और विस्तृत संविदा विनिर्देश प्रस्तुत करेगा, अर्थात्: -

- (क) संविदा का प्रकार;
- (ख) मूल्य खोज पद्धति और उसके संबंध में प्रस्तावित उप-नियम;
- (ग) वितरण से पहले संव्यवहार सत्र की शुरुआत और अवधि सहित संव्यवहार की अवधि;
- (घ) जोखिम प्रबंधन कार्यतंत्र;
- (ङ) मार्जिन कार्यतंत्र;
- (च) समाशोधन कार्यतंत्र;
- (छ) निपटान कार्यतंत्र;
- (ज) वितरण कार्यतंत्र;
- (झ) गुणवत्ता आश्वासन कार्यतंत्र;
- (ञ) संविदात्मक विचलन के लिए शास्ति; तथा
- (ट) प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित कोई अन्य पहलू।

(3) प्राधिकारी, संबंधित कोयला विनिमय (एक्सचेंज) को आदेश द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी भी अनुबंध के संव्यवहार को निलंबित कर सकेगा या कोयला विनिमय से कोई अनुबंध वापस ले सकेगा:

परंतु प्राधिकारी किसी संविदा के निलंबन या वापसी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा और ऐसे कारणों की सूचना कोयला विनिमय (एक्सचेंज) को दी जाएगी।

21. कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा जोखिम प्रबंधन.- (1) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) जोखिमों की पहचान, निगरानी और न्यूनीकरण के लिए एक जोखिम प्रबंधन संरचना का विकास और कार्यान्वयन करेगा और ऐसी संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं।

(क) सर्वोत्तम पद्धतियों पर आधारित हो; तथा

(ख) बाजार के बदलते जोखिम प्रोफाइल के प्रति गतिशील और उत्तरदायी बने रहें।

- (2) उप-नियम (1) के अधीन विकसित संरचना का अनुपालन बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए, कोयला विनिमय (एक्सचेंज) एक जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन समिति का गठन करेगा जिसकी अध्यक्षता कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के बोर्ड के एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।
- (3) जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन समिति छह माह के अंतराल पर विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में जोखिम प्रबंधन संरचना की समीक्षा करेगी।
- (4) जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन समिति निदेशक मंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- (5) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) उप-नियम (5) के अधीन निदेशक मंडल के निर्णय के साथ-साथ अनुसूची के साथ उपाबद्ध प्रारूप-ड में, प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत और सितंबर के अंत तक प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

22. समाशोधन और निपटान.- (1) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) अपने उपनियमों के अनुसार अपने मंच पर किए गए संव्यवहार के समाशोधन और निपटान से संबंधित अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा।

- (2) पक्षकारों के बीच संव्यवहार का निपटान, जैसा कि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट है, ऐसे पक्षों के लिए अंतिम, अपरिवर्तनीय और बाध्यकारी होगा।
- (3) कोयला नमूनाकरण अभिकरण द्वारा पुष्टिकरण रिपोर्ट जारी करने के बाद, कोयला विनिमय (एक्सचेंज) पर पार्टियों के बीच संव्यवहार का अंतिम निपटान संबंधित अनुबंध के अनुसार किया जाएगा।
- (4) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित कर सकता है यदि ऐसा सदस्य,-
 - (i) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) या उसके ग्राहक के प्रति अपने समाशोधन या निपटान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है;
 - (ii) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) या उसके ग्राहक के प्रति अपने कर्तव्यों, दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने या निर्वहन करने में अपनी असमर्थता को स्वीकार करता है या प्रकट करता है;
 - (iii) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) को देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है;
 - (iv) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के उप-नियमों और प्रचालन प्रक्रियाओं में निर्धारित मध्यस्थता निर्णय का पालन करने में विफल रहता है; या
 - (v) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने में विफल रहता है।
- (5) कोयला विनिमय (एक्सचेंज), प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, चूककर्ता सदस्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए एक कार्यतंत्र तैयार करेगा।

23. निपटान गारंटी निधि.- (1) प्रत्येक कोयला विनिमय (एक्सचेंज) एक निपटान गारंटी निधि की स्थापना और रखरखाव करेगा, जो उस पर निष्पादित व्यापारों के निपटान की गारंटी देगा।

- (2) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) एक निपटान गारंटी निधि प्रबंधन समिति का गठन करेगा।
- (3) निपटान गारंटी निधि प्रबंधन समिति की अध्यक्षता बोर्ड के एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी और इसमें कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व शामिल होगा।
- (4) जहां निधि में कमी होती है, कोयला विनिमय (एक्सचेंज) इसे प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट सीमा स्तर तक फिर से भर देगा।
- (5) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) निपटान गारंटी निधि से प्राप्त आय को सुरक्षित निवेश में निवेश करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मूल राशि को जोखिम में नहीं डाला गया है।
- (6) निपटान गारंटी निधि की राशि की प्राप्ति की कम से कम 50% को सुरक्षित और तरल निवेशों में रखा जाएगा, जिसमें अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सावधि जमा, ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- (7) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) अपने सदस्यों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर वित्तीय वर्ष में निवेश की गई प्रारंभिक प्रतिभूति जमा पर अर्जित रिटर्न का कम से कम सत्तर प्रतिशत वितरित करेगा।
- (8) उप-नियम (7) के अधीन निपटान गारंटी निधि की आय का वितरण निम्नलिखित अनुपात में किया जाएगा,—
 - (क) सदस्य की प्रारंभिक प्रतिभूति जमा; तथा
 - (ख) वह अवधि जिसके लिए ऐसी जमा राशि कोयला विनिमय के पास रखी गई थी।
- (9) निपटान गारंटी निधि के उपयोग को अभिशास्त्र करने वाले सिद्धांतों और पद्धतियों के बकाये में कोयला विनिमय के उप-नियमों और प्रचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से सदस्यों और ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा।
- (10) निपटान गारंटी निधि के निवेश का ब्यौरा कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आधार पर प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

24. कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और व्यापार प्रणाली.— (1) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का प्रचालन करेगा और अपने प्रचालन के लिए नेटवर्क संचार का उपयोग करेगा।

- (2) किसी सदस्य द्वारा दर्ज की गई बोली को कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की बोली पुस्तिका में स्वीकार करने से पहले जोखिम प्रबंधन प्रणाली में धन या संपार्श्विक की उपलब्धता के आधार पर जांच की जाएगी।
- (3) बोलियों का एक स्वचालित ऑडिट ट्रेल, बोलियों का मिलान और लेनदेन का निष्पादन बनाए रखा जाएगा।
- (4) मूल्य खोज के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का एल्गोरिथ्म इसका अनुपालन करेगा,—
 - (क) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं; तथा
 - (ख) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के उप-नियमों और प्रचालन प्रक्रियाओं में निर्धारित कार्यप्रणाली।
- (5) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) में एल्गोरिथ्म का ऑडिट किया जाएगा, -
 - (क) इसके प्रचालन के प्रारंभ होने से पहले; तथा
 - (ख) इसके बाद, प्रत्येक दो वर्ष में एक बार।
- (6) उप-नियम (5) के अधीन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (7) उप-नियम (6) के अधीन नियोजित संसाधन,—
 - (क) एल्गोरिथ्म के ऑडिट में क्षमता रखता हो;

(ख) सुसंगत उद्योग प्रमाणपत्र रखते हैं, जैसे कि सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा और नियंत्रण संघ से प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक प्रत्यायक; या

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय के पैनल में शामिल किया जाए।

(8) प्राधिकारी मूल्य खोज के लिए कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों की लेखा परीक्षा करने के लिए एक अभिकरण की लेखा परीक्षा या नियुक्ति कर सकता है।

(9) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) प्राधिकारी को परीक्षण मामलों के परिणाम और प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित डेटा प्रदान करेगा।

(10) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए डेटा सुरक्षा, डेटा अखंडता और प्रचालन दक्षता के लिए आवधिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली लेखा परीक्षा करेगा और वित्तीय वर्ष के अंत के बाद जून के तीस दिन तक प्राधिकारी को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(11) कोयला विनिमय (एक्सचेंज), बोर्ड के अनुमोदन से, साइबर हमलों और धमकियों से अपनी प्रणालियों, नेटवर्कों और डेटाबेस के लिए जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन संरचना तैयार करेगा और कार्यान्वित करेगा, और सूचना के लिए प्राधिकारी को ऐसा संरचना प्रस्तुत करेगा।

(12) भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल के साथ सूचीबद्ध संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की सुरक्षा लेखा परीक्षा की जाएगी।

(13) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) आपात स्थिति में व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक आपदा वसूली स्थल और वैकल्पिक व्यापार सुविधा की स्थापना और रखरखाव करेगा।

25. कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा सूचना का प्रसार.— (1) कोयला विनिमय अपनी वेबसाइट पर सभी संबंधित वेबसाइटों के लिंक प्रदर्शित करेगा।

(2) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) व्यापार किए गए कोयला मूल्यों, मात्राओं, लेन-देन शुल्क और ऐतिहासिक मूल्यों के संबंध में अपनी वेबसाइट पर डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराएगा।

(3) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) अपनी वेबसाइट पर महीने के लिए व्यापार किए गए मूल्यों का अधिकतम, न्यूनतम और औसत और लेन-देन किए गए सभी प्रकार के अनुबंधों के लिए मंजूरी दी गई औसत मात्रा प्रकाशित करेगा।

(4) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक प्रकार के अनुबंध के लिए कुल मांग और आपूर्ति वक्र प्रदर्शित करने वाली डेटा सारणियों को प्रकाशित करेगा।

(5) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप-च में मासिक आधार पर प्राधिकारी को सभी संव्यवहार का विवरण प्रदान करेगा।

(6) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) प्राधिकारी द्वारा निदेश दिए जाने पर, किसी भी अपेक्षित विश्लेषण के साथ सभी प्रतिभागियों की बोलियां प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(7) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) देश भर में नियमित आधार पर सदस्य या ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

26. कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा संव्यवहार की रिपोर्टिंग.— कोयला विनिमय (एक्सचेंज) अपने प्लेटफॉर्म पर सभी संव्यवहार का मासिक विवरण एक उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

27. कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा बाजार की निगरानी.- (1) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) लेन-देन की दिन-प्रतिदिन की निगरानी और निगरानी करने तथा उप-नियम (8) में निर्दिष्ट विश्लेषण करने के लिए एक निगरानी विभाग की स्थापना करेगा।

- (2) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) अपने प्लेटफॉर्म पर प्राप्त सभी बोलियों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।
- (3) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) एक बाजार निगरानी समिति का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के एक स्वतंत्र निदेशक करेंगे और इसमें कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की कार्यकारी टीम के सदस्य शामिल होंगे।
- (4) बाजार निगरानी समिति का कोई भी सदस्य कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का सदस्य नहीं होगा।
- (5) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकृत कर्मियों द्वारा भौतिक रूप से सुरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्र से बाजार की निगरानी की जाए।
- (6) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) दो वर्ष की अवधि के लिए उप-नियम (5) में निर्दिष्ट कर्मियों की बातचीत की सूचना, डेटा सुरक्षा और ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाए रखेगा और यदि ऐसा निर्देश दिया जाता है तो उन्हें प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
- (7) निगरानी विभाग प्रतिभागियों के बोली पैटर्न और संव्यवहार का विश्लेषण करेगा और अपना विश्लेषण और रिपोर्ट बाजार निगरानी समिति को प्रस्तुत करेगा।
- (8) बाजार निगरानी समिति प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद तीस दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकारी को त्रैमासिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- (9) उप-नियम (8) के अधीन रिपोर्ट में निम्नलिखित का विश्लेषण शामिल होगा, अर्थात्: -
 - (क) एक विशिष्ट समय अवधि में कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के सदस्यों के संव्यवहार का पैटर्न;
 - (ख) मूल्यों का दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अस्थिरता विश्लेषण;
 - (ग) खरीदार और विक्रेता का मूल्य निर्धारक विश्लेषण;
 - (घ) बाजार सहभागियों द्वारा प्रमुख स्थिति;
 - (ङ) सर्कुलर ट्रेडिंग की निगरानी;
 - (च) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के सदस्यों को अचानक हुए उच्च संव्यवहार की मात्रा का विश्लेषण;
 - (छ) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के किसी भी सदस्य द्वारा चूक का विश्लेषण;
 - (ज) दैनिक लेनदेन में बाजार एकाग्रता का विश्लेषण; तथा
 - (झ) सीमांत खरीदार और विक्रेता जिनकी मात्रा मार्जिन पर स्पष्ट की गई थी।

28. वार्षिक रिपोर्ट.- कोयला विनिमय (एक्सचेंज) प्रत्येक वर्ष तीस सितंबर तक अपनी अंकेक्षित बैलेंस शीट के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

29. निकास स्कीम.- (1) पंजीकरण के समय, कोयला विनिमय (एक्सचेंज) पंजीकरण के बंद होने या निरस्त होने की स्थिति में कार्यान्वित की जाने वाली निकास स्कीम के लिए प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(2) निकास स्कीम में निम्नलिखित मामलों का उपबंध होगा, अर्थात्: -

- (क) वह पद्धति जिससे कोयला विनिमय (एक्सचेंज) पर सभी प्रचालनरत अनुबंध बंद हो जाएंगे या सभी संव्यवहार किए गए अनुबंधों के लिए उत्तराधिकार योजना; तथा

(ख) वह पद्धति जिससे कोयला विनिमय (एक्सचेंज) लंबित मध्यस्थता मामलों, मध्यस्थता निर्णयों, देनदारियों या आकस्मिक प्रकृति के दावों और अनसुलझी निवेशक शिकायतों या शिकायतों से संबंधित किसी भी दावों का निपटान करेगा।

30. कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का पंजीकरण रद्द करना.- (1) प्राधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए और कोयला विनिमय (एक्सचेंज) को सुनवाई का अवसर देने के बाद, निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में उसे दिए गए पंजीकरण को रद्द कर सकेगा, अर्थात्:-

- (क) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का कामकाज इन नियमों के किसी भी नियम और शर्तों या इसके पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करता है;
- (ख) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की शेयरधारिता इन नियमों के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करती है;
- (ग) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) बाजार में हेरफेर या अंदरूनी व्यापार में लिप्त है;
- (घ) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का निवल मूल्य नियम 12 में प्रदान की गई निर्दिष्ट राशि से कम है;
- (ङ) यदि कोयला विनिमय (एक्सचेंज), प्राधिकारी के किसी भी निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है; या
- (च) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) अपने पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन करता है।

(2) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के पंजीकरण रद्द करने के अध्यक्षीन, इस तरह रद्द करने से पहले निष्पादित सभी संविदाएं वैध रहेंगी और उनका निष्पादन कोयला विनिमय (एक्सचेंज) द्वारा नियम 29 के अधीन अनुमोदित निकास स्कीम के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

31. सदस्यों और ग्राहकों का शिकायत निवारण.- (1) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) एक शिकायत निवारण मंच का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक करेगा।

(2) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) अपनी वेबसाइट पर कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के लिए सदस्यों द्वारा और ग्राहकों द्वारा अपने सदस्यों के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायतों के ब्यौरे और शिकायत के समाधान की स्थिति का खुलासा करेगा।

(3) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) अपनी वेबसाइट पर अपनाए गए संघर्ष समाधान कार्यतंत्र और शिकायत समाधान के परिणाम का भी खुलासा करेगा।

(4) प्राधिकारी किसी विशिष्ट शिकायत के निवारण के संबंध में कोयला विनिमय (एक्सचेंज) से सूचना मांग सकेगा।

(5) निवारण मंच के स्तर पर किसी भी अनसुलझी शिकायत को प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय 4

बाजार की निगरानी

32. बाजार की निगरानी के उद्देश्य.- प्राधिकारी निम्नलिखित के लिए बाजार निगरानी बनाए रखेगा,-

- (क) किसी भी बाजार भागीदार द्वारा बाजार में हेरफेर, अंदरूनी व्यापार, गुटबंदी और प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग का पता लगाना और उसे रोकना;

- (ख) यह सुनिश्चित करना कि बाजार सहभागियों को कोयला विनिमय (एक्सचेंज) की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता में विश्वास हो; तथा
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि मूल्यों का पता पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी पद्धति से लगाया जाए।

33. बाजार की निगरानी की प्रक्रिया.— (1) प्राधिकारी आवधिक रूप से तदनुसार अपेक्षित, बाजार की निगरानी करेगा।

(2) बाजार की निगरानी में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, अर्थात्: -

- (क) बाजार सहभागियों के पंजीकरण की प्रक्रिया;
- (ख) बाजार सहभागियों से डेटा एकत्र करने के लिए कार्यतंत्र;
- (ग) बाजार सहभागियों या किसी अन्य संस्थाओं का विवरण जो जानकारी प्रस्तुत करेंगी;
- (घ) खंड (ग) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का विवरण;
- (ङ) सूचना की रिपोर्टिंग के लिए आवधिकता और प्रारूप;
- (च) बाजार सहभागियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के किसी भी दुरुपयोग या अनधिकृत पहुंच को रोकने के उपाय;
- (छ) बाजार सहभागियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण और बाजार निगरानी का प्रचालन करना; तथा
- (ज) प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

(3) प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में जांच या जांच का आदेश दे सकता है, अर्थात्:-

- (i) बाजार सहभागियों द्वारा कानूनी दायित्वों का अनुपालन न करना, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-
- (क) इन नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन या गैर-अनुपालन; या
- (ख) इन नियमों के उल्लंघन के लिए जारी किए गए प्राधिकारी के आदेशों का अनुपालन न करना;
- (ग) उप-नियम (2) के अधीन मांगी गई सूचना अथवा प्राधिकारी द्वारा मांगी गई कोई अन्य सूचना प्रस्तुत करने में विलंब या अनुपलब्धि;
- (ii) निम्नलिखित में से किसी भी कार्यकलाप में बाजार सहभागियों की भागीदारी,-
- (क) बाजार में हेरफेर;
- (ख) किसी भी प्रकार का गुटबंदी;
- (ग) इनसाइडर ट्रेडिंग; या
- (घ) किसी भी बाजार भागीदार द्वारा प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग।

34. प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई.— नियम 33 के उप-नियम (2) के अधीन किसी भी सूचना या रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, प्राधिकारी संबंधित बाजार सहभागियों को उसके संबंध में एक प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के बाद और आदेश द्वारा इस प्रकार किए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद-

- (क) रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के संबंध में संबंधित बाजार भागीदार से ऐसी कार्रवाई करने की अपेक्षा करना जो प्राधिकारी उचित समझे;

- (ख) संबंधित बाजार भागीदार को प्राधिकारी द्वारा तय की जाने वाली अवधि के लिए किसी भी अनुबंध में भाग लेने से रोकना;
- (ग) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) को किसी सदस्य की सदस्यता रद्द करने का निर्देश देना; या
- (घ) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के पंजीकरण को निलंबित या रद्द करना।

35. कार्रवाई की अपेक्षा संबंधी परिस्थितियां.- (1) प्राधिकारी, इस बात से संतुष्ट होने पर कि निम्नलिखित में से कोई भी परिस्थिति बाजार में विद्यमान है या होने की संभावना है, एक आदेश द्वारा, ऐसे निदेश दे सकेगा जो आवश्यक हो, अर्थात्:-

- (i) कोयला मूल्यों में असामान्य वृद्धि या कमी;
- (ii) कोयला मूल्यों में अचानक या अनुचित उतार-चढ़ाव या अनुचित परिवर्तन और उच्च अस्थिरता; या
- (iii) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) पर अचानक उच्च लेनदेन की मात्रा।

(2) विशेष रूप से और उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी, लिखित रूप में आदेश द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है:-

- (क) कोयला विनिमय (एक्सचेंज) में कोयले का न्यूनतम या अधिकतम मूल्य लगाना;
- (ख) बढ़ी हुई अस्थिरता के मामले में क्लिंग ऑफ अवधि के लिए लेनदेन संबंधी कार्यकलापों को निलंबित करें;
- (ग) कोयला विनिमय पर किसी भी विशिष्ट अनुबंध में लेनदेन को निलंबित करना; या
- (घ) कोयला विनिमय द्वारा लगाए गए लेनदेन शुल्क को विनियमित करना;

36. अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार.- जहां, जांच या कार्रवाई के दौरान, प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि इन नियमों के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है या किए जाने की संभावना है, प्राधिकारी, एक आदेश द्वारा, संबंधित व्यक्ति को नोटिस देने के बाद, ऐसे व्यक्ति को ऐसी जांच या कार्रवाई के समापन तक या अगले आदेश तक उस कार्य को करने से अस्थायी रूप से रोक सकता है।

37. निरीक्षण का अधिकार.- (1) प्राधिकारी, किसी भी समय, अपने अधिकारियों के माध्यम से या किसी तृतीय-पक्ष अभिकरण के माध्यम से किसी कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का निरीक्षण, जांच या लेखापरीक्षा कर सकेगा।

(2) जहां प्राधिकारी द्वारा उप-नियम (1) के अधीन निरीक्षण किया जाता है, कोयला विनिमय (एक्सचेंज) और प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, अधिकारी और उसका कोई अन्य कर्मचारी ऐसे निरीक्षण, पूछताछ या लेखा परीक्षा में सहयोग करेंगे।

38. प्राधिकारी द्वारा निर्देश.- (1) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी स्वतः प्रेरणा से अथवा कोई सूचना प्राप्त होने पर अथवा किसी निरीक्षण, जांच या जांच के लंबित रहने के दौरान या उसके पूरा होने पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह प्रतिस्पर्धात्मक कोयला बाजारों को बढ़ावा देने के हित में उचित समझे।

(2) प्राधिकारी समय-समय पर कोयला विनिमय (एक्सचेंज) से किसी भी सूचना, दस्तावेज या रिकॉर्ड के लिए संपर्क कर सकता है।

अध्याय 5 विविध

39. प्रक्रिया और दिशानिर्देश.— इन नियमों और उसके संबंधित मामलों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी केंद्रीय सरकार के परामर्श से प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट कर सकता है और दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

अनुसूची

प्ररूप-क

[नियम 7 का उप-नियम 1 देखें]

कोयला विनिमय (एक्सचेंज) पंजीकरण के लिए आवेदन
जमा करने की तारीख:

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम:	गठन का प्रकार:
कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):	निगमन की तारीख:
कंपनी का पैन:	जीएसटी नंबर:
पंजीकृत पता:	
शहर:	पिन:
राज्य:	
कंपनी का ईमेल:	

विद्यमान कारबारों का विवरण:

कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का उल्लेख करने वाला एमओए खंड:

2. संलग्न दस्तावेज़

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> निगमन प्रमाण पत्र | <input type="checkbox"/> कंपनी पैन का प्रमाण पत्र |
| <input type="checkbox"/> जीएसटी प्रमाणपत्र | <input type="checkbox"/> बोर्ड संकल्प |
| <input type="checkbox"/> संगम ज्ञापन | <input type="checkbox"/> संगम अनुच्छेद |
| <input type="checkbox"/> पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी | <input type="checkbox"/> अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आईडी प्रमाण |

3. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण

नाम: पदनाम:
 मोबाइल सं.: ईमेल:
 आईडी प्रूफ प्रकार:

4. निदेशक मंडल

निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या	निदेशक का प्रकार	अपलोड किया गया सीवी	अपलोड किया गया शपथपत्र	लंबित मामले की घोषणा

5. शेयरधारक का विवरण

शेयरधारक का नाम	पदनाम	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत

6. जमा किए जाने वाले वित्तीय और निवल मूल्य विवरण और दस्तावेज

नेट वर्थ (आंकड़े):

- विशेष लेखापरीक्षित बैलेंस शीट
 पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरण

नेट वर्थ (शब्द):

- लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र
 वार्षिक रिपोर्ट

7. परियोजना रिपोर्ट और उप-नियम की प्रस्तुति

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> संविधान दस्तावेज | <input type="checkbox"/> व्यवसाय योजना |
| <input type="checkbox"/> अभिशासन संरचना | <input type="checkbox"/> अवसंरचना योजना |
| <input type="checkbox"/> सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा योजना | <input type="checkbox"/> वितरण और लॉजिस्टिक्स योजना |
| <input type="checkbox"/> बाजार विकास योजना | <input type="checkbox"/> समेकित परियोजना रिपोर्ट |
| <input type="checkbox"/> प्रचालन प्रक्रियाओं का मसौदा | <input type="checkbox"/> मसौदा उप-नियम |
| <input type="checkbox"/> अतिरिक्त दस्तावेज | |

8. आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण

लेन-देन संदर्भ आईडी:

लेन-देन की तारीख:

बैंक का नाम:

शाखा:

आईएफएससी:

भुगतान की गई राशि:

भुगतान का प्रमाण:

घोषणा

"मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।"

आवेदक के हस्ताक्षर:

कंपनी की सील:

तारीख:

स्थान:

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन प्राप्त होने की तारीख:

आवेदन संख्या:

चेककर्ता:

सत्यापित करने वाला:

टिप्पणियां:

स्थिति: स्वीकृत अस्वीकृत समीक्षाधीन

प्ररूप-ख

पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन

[नियम 9 का उप-नियम 3 देखें]

सेवा में

कोयला नियंत्रक

कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ)

कोयला मंत्रालय

भारत सरकार

विषय:

कोयला विनिमय (एक्सचेंज) नियम, 2026 के नियम 9 के अधीन कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन।

महोदय/महोदया,

1. हम/मैं _____ (कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का नाम और पता) की ओर से कोयला विनिमय (एक्सचेंज) नियम, 2026 के अधीन कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं।
2. उप-नियमों और प्रचालन प्रक्रियाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के गठन और प्रबंधन से संबंधित संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की दो प्रतियां और कोयला विनिमय (एक्सचेंज) को अभिशासित करने वाले उप-नियमों और प्रचालन प्रक्रियाओं की दो प्रतियां संलग्न हैं।
3. इस आवेदन में आवश्यक सभी सूचना संलग्न है। कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा मांगे जाने पर कोई भी अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

4. हम/मैं वचन देते हैं कि कोयला विनियम (एक्सचेंज) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, कोयला विनियम (एक्सचेंज) नियम, 2026 और कोयला नियंत्रक संगठन या कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी लागू दिशानिर्देशों, आदेशों और निर्देशों का अनुपालन करता है।

5. निर्धारित शुल्क के भुगतान का प्रमाण संलग्न है।

भवदीय,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम और पदनाम)

के लिए और की ओर से

(कोयला विनियम (एक्सचेंज) का नाम)

नवीनीकरण प्रपत्र का अनुबंध

1. कोयला विनियम (एक्सचेंज) का विवरण

निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

- कोयला विनियम (एक्सचेंज) का नाम
- पंजीकृत कार्यालय का पता

- कॉर्पोरेट कार्यालय का पता
- संपर्क विवरण (ईमेल और टेलीफोन)
- वेबसाइट का पता

संलग्नक:

- निगमन का प्रमाण पत्र
- संगम ज्ञापन
- संगम अनुच्छेद

2. पंजीकरण का विवरण

कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा प्रदान किए गए विद्यमान पंजीकरण का विवरण प्रदान करें, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पंजीकरण प्रदान करने की तारीख
- पंजीकरण की वैधता अवधि
- कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के प्रचालन शुरू होने की तारीख।

3. स्वामित्व संरचना

कोयला विनिमय (एक्सचेंज) के वर्तमान शेयरधारिता पैटर्न का विवरण प्रदान करें।

संलग्नक:

- कोयला विनिमय (एक्सचेंज) का शेयरहोल्डिंग पैटर्न
- कोयला विनिमय (एक्सचेंज) नियम, 2026 के अधीन स्वामित्व सीमा के अनुपालन की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र।

4. अभिशासन संरचना

कोयला विनियम (एक्सचेंज) के निदेशक मंडल का विवरण प्रदान करें, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- निदेशकों की संख्या
- स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
- शेयरधारक निदेशकों की संख्या
- प्रबंध निदेशक का विवरण
- इस बात की पुष्टि करें कि बोर्ड की संरचना कोयला विनियम (एक्सचेंज) नियम, 2026 का अनुपालन करती है।

5. नेट वर्थ अनुपालन

कोयला विनियम (एक्सचेंज) की निवल संपत्ति का विवरण प्रदान करें।

संलग्नक:

- कोयला विनियम (एक्सचेंज) नियम, 2026 के अनुसार कम से कम पचास करोड़ रुपये की निवल संपत्ति की पुष्टि करने वाला लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र।

6. वित्तीय विवरण

संलग्नक:

- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कोयला विनियम (एक्सचेंज) की वार्षिक रिपोर्ट
- लेखापरीक्षित बैलेंस शीट
- लाभ-हानि का लेखा।

7. प्रचालन निष्पादन

पंजीकरण की अवधि के दौरान कोयला विनियम (एक्सचेंज) के कामकाज का सारांश प्रदान करें, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- बाजार सहभागी और सदस्य

- कोयला आपूर्ति अनुबंधों का कारोबार
- बाजार विकास पहलें।

8. अवसंरचना और प्रौद्योगिकी

विवरण प्रदान करें:

- ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा
- साइबर-सुरक्षा और डेटा सुरक्षा प्रणाली
- आपदा वसूली और व्यापार निरंतरता व्यवस्था।

9. उपनियम और प्रचालन प्रक्रियाएं

संलग्नक:

- कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा अनुमोदित कोयला विनियम (एक्सचेंज) के नवीनतम उप-नियम
- कोयला विनियम (एक्सचेंज) की नवीनतम प्रचालन प्रक्रियाएं

पंजीकरण प्रदान करने के बाद से किए गए किसी भी संशोधन का विवरण प्रदान करें।

10. अनुपालन विवरण

कोयला विनियम (एक्सचेंज) नियम, 2026 और कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला विवरण प्रदान करें।

प्ररूप-ग
शेयरहोल्डिंग पैटर्न प्रकटीकरण रिपोर्ट
[नियम 14 का उप-नियम 1 देखें]

शेयरहोल्डिंग पैटर्न प्रकटीकरण रिपोर्ट

कोयला विनियम (एक्सचेंज) का नाम :

तारीख :

क्रम संख्या	शेणी	शेयरधारक की शेणी	पीएएन	शेयरधारकों की संख्या	पूरी तरह से पुनतान किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	आंशिक रूप से पुनतान किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	डिपॉजिटरी रसीदों के अंतर्निहित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों की कुल संख्या (VII)= (IV)+(V)+(VI)	कुल शेयरों के प्रतिशत के रूप में ((क+ख+ग) के शेयरधारिता प्रतिशत के रूप में प्रतिभूति अनुबंधों (विनियमन) नियम, 1957) (VIII) के रूप में परिकल्पित)	प्रतिभूतियों की प्रत्येक शेणी में आवोजित मतदान अधिकारों की संख्या	बकाया परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के अंतर्निहित शेयर	शेयरधारिता प्रतिशत (पूर्ण रूपांतरण मानते हुए)	लॉक-इन शेयर	शेयरों में लॉक प्रतिशत	गिरवी रखे गए/धारित शेयर	गिरवी रखे गए शेयरों का प्रतिशत	डीमैट प्रपत्र में इक्विटी शेयर
										मतदान अधिकारों की संख्या							
										शेणी उदाहरण: X	शेणी उदाहरण: X	कुल					

MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION

New Delhi, 4th June, 2026

G.S.R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by section 18B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

Chapter I

Preliminary

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Coal Exchange Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) “Act” means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

(b) “Affiliate” means an associated person in relation to the entity or the entity in relation to an associated person –

(i) who participates directly or indirectly or through one or more intermediaries in the management or control or capital of the entity or an associated person, as the case may be;

(ii) who holds, directly or indirectly, shares carrying not less than twenty-six per cent. of the voting power in the entity or associated person, as the case may be;

(iii) who appoints more than half of the board of directors or members of the board, or one or more executive directors or executive members of the board of the entity or the associated person, as the case may be; or

(iv) who guarantees not less than ten per cent. of the total borrowings of the entity or the associated person, as the case may be;

(c) “Associate”, in relation to a person, includes another person:

(i) who, directly or indirectly, by himself, or in combination with other persons, exercises control over the first person;

- (ii) who holds control of at least twenty per cent. of the total voting power of the first person;
 - (iii) who is a holding company or a subsidiary company of the first person;
 - (iv) who is a relative, as defined in the Companies Act, 2013, of the first person;
 - (v) who is a member of a Hindu Undivided Family of which the first person is also a member;
 - (vi) such other cases where the Authority is of the view that a person shall be considered as an associate based on the facts and factors, including the extent of control, independence, conflict of interest;
- (d) “Authority” means Coal Controller Organisation;
- (e) “automated audit trail” means the automated creation and preservation of a time-sequenced record of transactions, including creation, modification or omission, in the electronic trading system of the Coal Exchange, for the purpose of reference at a later date;
- (f) “bid” means an electronic document by which a member of the Coal Exchange, submits the price, quantity, quality or any other specification in relation to a contract, for the purpose of making a transaction;
- (g) “bid type” means the category of bids distinguished by specifications applicable in relation to each contract to be transacted on the Coal Exchange;
- (h) “Board” means the Board of Directors of a Coal Exchange;
- (i) “bye-laws” means the provisions relating to the basic framework formulated by the Coal Exchange for the purposes of the management and trading at the Coal Exchange, which are duly approved by the Authority;
- (j) “cartelisation” means any act by market participants, whereby they limit, control or attempt to limit or control the storage, transportation, distribution, marketing, sale, price, trade or transaction in coal;
- (k) “circular trading” means trading or transactions by a member or group of

members, whereby, one or more entities of such member or group enter buy bids and on the other side, one or more entities of the same member or group enter sell bids or vice-versa, with the intent to manipulate the price of coal, to create an artificial market or to defraud or misuse the system;

- (l) “clearing” means the process of determining the obligations of members of the Coal Exchange resulting from the conclusion of a transaction at the Coal Exchange;
- (m) “client” means an entity that has entered into an agreement with a member of a Coal Exchange for the purpose of dealing through such member;
- (n) “coal” means coal or lignite, including their processed forms;
- (o) “Coal Exchange” means a mineral exchange referred to in clause (af) of section 3 of the Act, where buyers and sellers of coal, transact, trade and enter into contracts on an online platform;
- (p) “coal sampling agency” means any third party agency empaneled or recognised by the Authority for the collection, preparation, testing, analysis and documentation of coal samples;
- (q) “company” means a company as defined in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (r) “contract” means any delivery-based contract approved by the Coal Controller Organisation and made available for transaction at the Coal Exchange;
- (s) “contractual deviation” means any departure from the terms, conditions, specifications or obligations agreed upon in a contract;
- (t) “director” means a director as defined in clause (34) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (u) “Form” means form appended to these rules;
- (v) “independent director” means a director as defined in clause (47) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

- (w) “insider” means a person,—
- (a) who is, or has been, during the period of six months preceding the concerned event, associated with the Coal Exchange, directly or indirectly, in any capacity, including by reason of frequent communication with its officers or by being in any contractual, fiduciary or employment relationship or by being a director, officer or an employee of the Coal Exchange or by holding any position, whether permanent or temporary, including a professional or business relationship with the Coal Exchange, that allows such person, directly or indirectly, access to unpublished price-sensitive information relating to transactions on the Coal Exchange; or
 - (b) who is in possession of, or has access to, unpublished price-sensitive information relating to transactions on a Coal Exchange; or
 - (c) who has acquired unpublished price-sensitive information by the commission of an offence under any of the laws for the time being in the country;
- (x) “Insider trading” means,—
- (a) communicating, providing or allowing access to any unpublished price-sensitive information to any person, including other insiders, except where such communication is in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of any legal obligations; or
 - (b) recommending any person, on the basis of unpublished price-sensitive information, to acquire or dispose of any contract on the Coal Exchange to which that information relates;
- (y) “managing director” means a director as defined in clause (54) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (z) “market” means a platform, through the Coal Exchange, where buyers and sellers buy or sell coal;
- (aa) “market manipulation” means,—
- (i) entering into any transaction on the Coal Exchange by any market participant, which -
 - (a) gives, or is likely to give, false or misleading signals as to the supply of,

- demand for, or price of any of the contract;
- (b) secures or attempts to secure, by any member of the Coal Exchange or client, a relatively higher sale price while curtailing supply to other beneficiaries entitled to receive the same coal;
- (ii) disseminating any information through the media which gives, or is likely to give, false or misleading signals as to the supply of, demand for, or price of any contract.
- (ab) “market participants” include the Coal Exchange, its members, clients, coal sampling agencies, any other party transacting at the Coal Exchange and any other entity as may be notified by the Authority;
- (ac) “market surveillance committee” means the committee referred to in sub-rule (3) of rule 27;
- (ad) “member” means a person who has been granted membership of the Coal Exchange in accordance with these rules;
- (ae) “net worth” means the net worth as defined in clause (57) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (af) “persons acting in concert” shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (ag) “settlement” means the process of discharging the obligations of members or clients of such members resulting from the conclusion of a transaction at the Coal Exchange;
- (ah) “settlement guarantee fund” means a fund created and maintained by the Coal Exchange, to be used for the settlement of defaults of its members or clients of such members, as stipulated in the default-remedy mechanism of the Coal Exchange and comprising of funds as may be determined by the Coal Exchange with prior approval of the Authority;
- (ai) “shareholder director” means a director of the Coal Exchange who represents the interests of shareholders and is elected or nominated by such shareholders;

(aj) “transaction fee” means the fee payable by members for transactions on the Coal Exchange;

(ak) “unpublished price-sensitive information” means any information relating to contracts transacted on the Coal Exchange that is not generally available and which, upon becoming generally available, is likely to materially affect the price of such contract and shall ordinarily include, but not restricted to, information relating to the contract approved by the Authority.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

Chapter II

Components of Contracts

- 3. Components of contracts transacted on Coal Exchange.** – (1) The price discovery shall be undertaken by the Coal Exchange through a mechanism that ensures fair, neutral, competitive and efficient prices.
- (2) The bidding and price discovery mechanisms shall be conducted in accordance with the procedure approved by the Authority based on the proposal of the Coal Exchange.
- (3) The scheduling and delivery of transactions shall be carried out in coordination among the sellers, buyers and other relevant market participants, in accordance with the contract approved by the Authority.
- (4) The quality of the delivered coal shall be verified by the coal sampling agency in accordance with the contract approved by the Authority.
- 4. Contract and settlement conditions.** – (1) A contract may be annulled or curtailed in accordance with the clauses of the contract.
- (2) Settlement of payments of the transactions under a contract shall be carried out in accordance with the provisions of rule 22.
- (3) The final price of the traded coal shall be adjusted in accordance with the quality of the coal traded, based on the price-adjustment mechanism of the contract executed and the quality certification issued by the coal sampling agency.
- (4) Any variance between the quantity actually dispatched and the quantity traded shall be resolved in accordance with the terms and conditions specified in the executed contract.

Chapter III

Coal Exchange

- 5. Objectives of the Coal Exchange.** – The Coal Exchange shall be established and operated with the objectives of formulating coal supply contracts and facilitating transactions of such contracts, ensuring fair, transparent, neutral, efficient and robust price discovery and dissemination and securing the efficient and timely supply of coal in accordance with the terms of the contract.
- 6. Eligibility criteria.**– For establishing a Coal Exchange, the applicant shall fulfil the following criteria at the time of making an application for registration of the Coal Exchange,–
- (a) the applicant shall be a company limited by shares incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (b) the applicant is demutualised;

Explanation. – For the purposes of this sub-rule, the term "demutualised" means that the

ownership and management of the applicant are segregated from the trading rights, in terms of these rules;

- (c) the applicant shall have a net worth of not less than fifty crore rupees, as per the audited special balance sheet prepared on any date falling within a period of thirty days immediately preceding the date of filing the application for grant of registration;
- (d) the directors of the applicant shall be eligible for appointments on the Board of Directors in accordance with rule 16;
- (e) the applicant shall satisfy the requirements of ownership under rule 13 and governance structure under rule 15.

7. Application and documents to be submitted for registration.— (1) The applicant may prefer an application for registration in Form-A annexed to the Schedule.

(2) The applicant shall pay a one-time, non-refundable application fee of rupees three lakhs and shall submit the following documents for registration of the Coal Exchange, namely:-

- (a) Memorandum and articles of association of the company;
- (b) the audited special balance sheet prepared on any date falling within a period of thirty days immediately preceding the date of filing the application for grant of registration, showing the net worth of the applicant;
- (c) copies of the annual report and audited accounts of the applicant for the last three years;
- (d) Project report containing the following details, namely:-
 - (i) the constitution of the proposed Coal Exchange;
 - (ii) the business plan, including funding sources, of the proposed Coal Exchange;
 - (iii) the management and administrative structure of the proposed Coal Exchange;
 - (iv) the infrastructural facilities available or proposed to be acquired by the Coal Exchange;
 - (v) the timeline of development, setting up and operationalisation of the Coal Exchange.

(3) The draft bye-laws and draft operating procedures of the proposed Coal Exchange on the aspects, specified in rule 17.

8. Procedure for processing the application. – (1) The Authority shall notify the complete details of the applicant on the official website of the Authority or Ministry of Coal, inviting suggestions from stakeholders within a period of thirty days from the date of publication of such notice.

- (2) Any comments or information sought by the Authority shall be replied by the applicant within a period of seven days from the date of receipt of the query made by the Authority.
- (3) The Authority may call for further information or documents as may be considered appropriate.
- (4) The Authority, after due consideration of the application and being satisfied that the applicant meets the

eligibility criteria specified in rule 6, may propose to grant registration to the applicant for the establishment of the Coal Exchange.

- (5) Where the Authority proposes to grant registration to the applicant, it shall publish a notice of its proposal on the official website of the Authority for public information for a period of seven days to invite any further objections or suggestions.
- (6) The Authority shall either approve or reject the application for grant of registration within a period of ninety days from the date of receipt of application.
- (7) The Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend any of the timelines specified in this rule.

9. Grant and renewal of registration. – (1) The Authority shall, after making such inquiries as may be necessary and after obtaining such information as it may require, grant registration subject to such conditions as it deems fit, or reject the application for reasons to be recorded in writing.

(2) The registration of a Coal Exchange shall be for a period of twenty-five years from the date of grant of registration, unless such registration is revoked or cancelled.

(3) The Authority may, on an application filed by the Coal Exchange, renew registration for a further period of twenty-five years, by preferring an application for renewal of registration in Form-B annexed to the Schedule.

(4) An application for renewal of registration shall be submitted by the Coal Exchange one year before the expiry of the period of registration.

(5) If an application for renewal of registration is not filed within the time specified, the Authority may, for reasons to be recorded in writing, condone the delay.

(6) Any electronic trading platform or marketplace where buyers and sellers of coal transact, trade and enter into contract, which was in operation prior to the date of coming into force of these rules, shall apply for and obtain the registration under these rules in order to continue their operations:

Provided that if any such platform or marketplace is not registered as a Coal Exchange in accordance with these rules within a period of six months after the operationalisation of the first Coal Exchange, such platform or marketplace shall cease to exist.

10. Fees and charges. – The Coal Exchange shall pay,-

- (i) a one-time registration fee of rupees fifty lakhs;
- (ii) an application fee of rupees three lakhs; and
- (iii) an annual fee of thirty lakhs or 0.02% of the trade value on the exchange (excluding taxes) during the relevant financial year, whichever is higher, as annual fee, subject to a maximum cap of five crore rupees.

11. Appointment of Experts by Authority. – (1) The Authority may for the purposes of seeking assistance, appoint experts on the panel of any ministry or department of the Central Government or any Central Government public sector enterprise or any statutory or autonomous organisation of the Central Government.

(2) The officers and staff of the Authority dealing with affairs of Coal Exchange and incidental thereto shall not be involved in any other work of the office of the Authority.

12. Net worth of applicant.– A Coal Exchange shall maintain at all times a minimum net worth of rupees fifty crore:

Provided that where the net worth of a Coal Exchange reduces at any time below rupees fifty crores, the Authority may, for the reasons to be recorded in writing, allow the Coal Exchange such period as may be considered necessary, to restore the net worth to the level specified in this rule.

13. Ownership structure of Coal Exchange.– (1) The shareholding pattern for equity holders in a Coal Exchange shall be subject to the following limits, namely:–

(a) no member or client of a Coal Exchange shall, at any time, directly or indirectly, either individually or together with associates, affiliates or persons acting in concert, acquire or hold more than five per cent. of the paid-up equity share capital in the Coal Exchange; and

(b) at no point of time any of the member or client of a Coal Exchange, in aggregate, directly or indirectly, either individually or jointly with associates, affiliates or with persons acting in concert for any of them, acquire or hold more than forty-nine per cent. of the paid-up equity share capital in the Coal Exchange.

(2) No person, other than a member or client of a Coal Exchange shall, at any time after five years of registration of the Coal Exchange, directly or indirectly, either individually or together with associates, affiliates or with persons acting in concert, acquire or hold more than twenty-five per cent. of the paid-up equity share capital of the Coal Exchange:

Provided that such persons shall be required to divest their shareholding in excess of twenty-five per cent. within five years of registration of the Coal Exchange.

14. Disclosure of information of the Coal Exchange.– (1) The Coal Exchange shall, on or before the thirtieth day of April each year, disclose to the Authority as per Form-C annexed to the Schedule, its category-wise shareholding pattern as on thirty first day of March of that year, or whenever there is a significant change in the shareholding or as and when directed by the Authority.

(2) The Coal Exchange shall maintain and preserve all relevant documents and records relating to the issue or transfer of its shares for a period of not less than eight years and make such documents available to the Authority as and when directed.

15. Governance structure of the Coal Exchange. – (1) The Board of Directors of the Coal Exchange shall consist of the following categories of directors, namely:-

- (a) shareholder directors;
- (b) independent directors; and
- (c) managing director.

(2) The number of independent directors shall not be less than the number of shareholder directors on the Board:

Provided that for this purpose, the managing director shall be included in the category of shareholder directors.

(3) The Coal Exchange shall ensure that independent directors are selected from diverse fields of work and while deciding a particular person as an independent director, the Coal Exchange shall also take into account the following factors, namely:-

- (a) persons having qualifications in the area of law, finance, accounting, economics, management, administration or any other area relevant to the coal markets;
- (b) at least one person having experience and background in finance or accounts shall be inducted;
- (c) persons holding positions of trust and responsibility in reputed organisations or persons who have retired from such positions;
- (d) persons who are likely to have interested positions in commercial contracts and financial affairs of the Coal Exchange shall be excluded;
- (e) persons who are directors in the board of the promoter entity of the Coal Exchange shall be excluded;
- (f) persons who are in any fiduciary relationship with any member of Coal Exchange or client shall be excluded.

(4) The managing director shall function as the chief executive of the Coal Exchange and all powers in respect of day-to-day affairs of the Coal Exchange shall be vested in him.

(5) The managing director or any employee of the Coal Exchange shall not be directly or indirectly associated with any member of the Coal Exchange or client or participant of the Coal Exchange or with a holding or subsidiary company thereof.

(6) The managing director shall ensure that the details of individual bids of members of the Coal

Exchange are not shared with the Board.

- (7) The names of persons to be appointed as shareholder directors shall be approved by the Board, followed by shareholders approval and submitted to the Authority for information.
- (8) The manner of election, appointment, tenure, resignation and vacation of shareholder directors and independent directors shall be governed by the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
- (9) No Member of Coal Exchange or their client shall be on the Board of Directors of any Coal Exchange.
- (10) The names of persons appointed as directors following due process as per the Companies Act 2013 (18 of 2013) shall be submitted to the Authority.

16. Qualifications and disqualifications for appointment as Director in the Board. – (1) A person to be appointed as director in the Board, shall have good reputation and character, and a record of fairness, integrity and honesty.

(2) He should have qualifications in the area of law, finance, accounting, economics, management, administration or any other area relevant to the coal markets.

(3) A person shall be considered as disqualified for appointment or continuation as director in the Board, in case the person, –

(a) is convicted by a court for any offence involving moral turpitude or fraud or any economic offence or any offence against any law and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the conviction:

Provided that in case the person is convicted of any offence and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period of seven years or more, such a person shall not be eligible to be appointed as a director in any Coal Exchange; or

(b) is restrained, prohibited or debarred from holding the post of a director in the Board of a company by any other authority constituted under any law in force in India; or

(c) has an adverse order against him by a competent court or tribunal in a winding up proceedings; or

(d) is an undischarged insolvent; or

(e) has applied to be adjudicated as an insolvent and the application is pending; or

(f) is found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force.

(4) No person who suffers from any of the disqualifications for appointment of director prescribed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall be eligible for appointment or continuation as director in the Board.

(5) In case any shareholder of the Coal Exchange suffers from any of the disqualifications mentioned in

sub-rule (2) and (3) of this rule, such shareholder or its nominee shall be debarred from being appointed as director in the Board.

17. Bye-laws and operating procedures of Coal Exchange.— (1) The Coal Exchange shall function in accordance with its bye-laws and operating procedures as approved by the Authority.

(2) The Authority shall notify, the various aspects to be covered as part of such bye-laws and operating procedures.

(3) No amendment to the bye-laws and business rules shall be carried out without prior approval of the Authority:

Provided that the Authority may, by a separate order, dispense with the requirement of prior approval for amendment of certain provisions of the bye-laws and operating procedures ;

Provided further that such amendments shall, in all cases, be required to be approved by the Board before being brought into effect;

Provided also that every amendment so approved by the Board shall be notified to the Authority within a period of thirty days from the date of approval and the Coal Exchange shall maintain a record of all such amendments for inspection.

18. Reporting of members of the Coal Exchange. – (1) The Coal Exchange shall submit the details of its members to the Authority, in Form-D annexed to the Schedule.

(2) Where any discrepancy in contravention of these rules is found in the transactions of a member, the Authority may, after inquiry as it deems fit and after giving such member an opportunity of being heard, direct the Coal Exchange to debar or revoke the membership of such member and such direction shall be without prejudice to any action against the Coal Exchange.

(3) The Authority may direct the Coal Exchange to introduce qualification tests for personnel handling electronic trading terminals and trading in coal.

(4) The Coal Exchange shall stipulate the criteria for membership, including net worth, minimum base capital, security deposit requirement and liquid asset requirement.

(5) The Coal Exchange shall maintain supporting documents provided by the members for obtaining membership including the documents evidencing compliance with any criteria specified by the Coal Exchange and shall furnish such documents to the Authority as and when required by the Authority and the documents shall be maintained for a period of not less than five years after the member has surrendered membership or ceases to be a member of the Coal Exchange:

Provided that the Authority may by order, extend the period of preservation of such documents in cases where proceedings or investigations are pending against a member.

19. Coal Exchange Transaction fee.- (1) The Coal Exchange shall be required to submit to the Authority

the details of the transaction fee to be charged by the Coal Exchange based on types of contracts or quantum of transaction or duration of transaction or such other factors as may be proposed by the Coal Exchange before the date of commencement of the exchange operation, provided that such transaction fee shall be subject to the limits as specified by the Authority from time to time.

(2) The Coal Exchange shall be required to submit to the Authority the details of any other charges or fees to be charged by the Coal Exchange before commencement of the exchange operation, provided that such charges or fees shall not exceed the limits, if any, specified by the Authority.

20. Approval or suspension of contracts by the Authority. – (1) The Authority may, on its own or on an application made in this behalf, permit the Coal Exchange to introduce new contracts:

Provided that the Coal Exchange may, after consultation with stakeholders, introduce new bid types or modify existing bid types conforming to the types and features of the contracts, under intimation to the Authority along with the details of such consultation and the views of the Coal Exchange.

(2) Any Coal Exchange seeking permission to introduce a new contract under sub-rule (1), shall submit to the Authority complete and detailed contract specifications, with the following details, namely:-

- (a) type of contract;
- (b) price discovery methodology and bye-laws proposed in respect thereof;
- (c) transaction period including commencement and tenure of transaction session before delivery;
- (d) risk management mechanism;
- (e) margining mechanism;
- (f) clearing mechanism;
- (g) settlement mechanism;
- (h) delivery mechanism;
- (i) quality assurance mechanism;
- (j) penalty for contractual deviation; and
- (k) any other aspects, as mentioned by the Authority.

(3) The Authority may, after granting the concerned Coal Exchange an opportunity of being heard, by order, suspend transactions of any contract for such period as may be specified in the order or withdraw any contract from the Coal Exchange:

Provided that the Authority shall record in writing the reasons for suspension or withdrawal of any contract and such reason shall be communicated to the Coal Exchange.

21. Risk management by Coal Exchange.– (1) The Coal Exchange shall develop and implement a risk management framework to identify, monitor and mitigate risks and such framework shall,-

- (a) be based on best practices; and
- (b) remain dynamic and responsive to the changing risk profiles of the market.

(2) For the purposes of maintaining adherence to the framework developed under sub-rule (1), the Coal Exchange shall constitute a Risk Assessment and Management Committee which shall be headed by an independent director of the Board of the Coal Exchange.

(3) The Risk Assessment and Management Committee shall review the risk management framework at intervals of six months, specifically in January and July each year.

(4) The Risk Assessment and Management Committee shall submit a report to the Board of Directors.

(5) The Coal Exchange shall submit the report under sub-rule (4) together with the decision of the Board of Directors, in Form-E annexed to the Schedule, to the Authority not later than the end of March and end of September each year.

22. Clearing and settlement.— (1) The Coal Exchange shall discharge its obligations relating to the clearing and settlement of transactions undertaken on its platform in accordance with its bye-laws.

(2) The settlement of a transaction between parties, as referred to in sub-rule (1), shall be final, irrevocable and binding on such parties.

(3) The final settlement of a transaction between the parties on the Coal Exchange shall be effected in accordance with the relevant contract, subsequent to the issuance of the confirmation report by a coal sampling agency.

(4) The Coal Exchange may declare a member as a defaulter if such member,-

- (i) fails to fulfil its clearing or settlement obligations towards the Coal Exchange or its client;
- (ii) admits or discloses its inability to fulfil or discharge its duties, obligations and liabilities towards the Coal Exchange or its client;
- (iii) fails to pay any sum due to the Coal Exchange, as may be stipulated from time to time;
- (iv) fails to abide by an arbitration award as laid down in the bye-laws and operating procedures of the Coal Exchange; or
- (v) fails to abide by conditions as may be laid down by the Coal Exchange.

(5) The Coal Exchange shall, with the prior approval of the Authority, devise a mechanism to fulfil the obligations of a defaulting member.

23. Settlement Guarantee Fund. – (1) Every Coal Exchange shall establish and maintain a Settlement Guarantee Fund, to guarantee the settlement of trades executed on it.

(2) The Coal Exchange shall constitute a Settlement Guarantee Fund Management Committee.

(3) The Settlement Guarantee Fund Management Committee shall be headed by an independent director of the Board and shall include adequate representation from the members of the Coal Exchange.

- (4) Where a shortfall in the fund, the Coal Exchange shall replenish it to the threshold level as may be specified by the Authority.
 - (5) The Coal Exchange shall invest the proceeds of Settlement Guarantee Fund in safe investments and ensure that the principal amount is not placed at risk.
 - (6) Not less than fifty per cent. of the proceeds of Settlement Guarantee Fund shall be kept in safe and liquid investments, including but not limited to fixed deposits with the Scheduled public sector banks, treasury bills and Government securities.
 - (7) The Coal Exchange shall distribute to its members at least seventy per cent. of the return earned on the initial security deposit invested in the financial year, within a period of forty-five days of the close of that financial year.
 - (8) The distribution of the proceeds of settlement guarantee fund under sub-rule (7) shall be made in proportion to, –
 - (a) the initial security deposit of the member; and
 - (b) the duration for which such deposit was held with the Coal Exchange.
 - (9) The principles and methods governing the usage of the settlement guarantee fund shall be clearly communicated to the members and clients through the bye-laws and operating procedures of the Coal Exchange.
 - (10) Details of investment of the Settlement Guarantee Fund shall be submitted to the Authority on an annual basis together with annual report of the Coal Exchange.
- 24. Information technology infrastructure and trading system of Coal Exchange.** – (1) The Coal Exchange shall operate an electronic trading system and utilise network communication for its operations.
- (2) The bid entered by a member shall be checked against availability of funds or collateral in the risk management system before it is accepted into the bid book of the Coal Exchange.
 - (3) An automated audit trail of bids, matching of bids and the execution of transactions shall be maintained.
 - (4) The algorithm of the software application used for price discovery shall comply with,–
 - (a) the requirement specified in sub-rule (5); and
 - (b) the methodology set out in the bye-laws and operating procedures of the Coal Exchange.
 - (5) The Coal Exchange shall have the algorithm audited,–
 - (a) before the commencement of its operations; and
 - (b) thereafter, once in every two years.
 - (6) The findings of the audit under sub-rule (5) shall be submitted to the Authority.
 - (7) The resources employed under sub-rule (6) shall,–

- (a) possess competence in the audit of algorithms;
 - (b) hold relevant industry certifications, such as Certified Information Systems Auditor credential from the Information Systems Audit and Control Association; or
 - (c) be empanelled with the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate under the Ministry of Electronics and Information Technology.
- (8) The Authority may audit or appoint an agency to conduct an audit of the software applications used by the Coal Exchange for price discovery.
- (9) The Coal Exchange shall provide to the Authority the results of the test cases and data as required by the Authority.
- (10) The Coal Exchange shall carry out periodic Information Technology system audit for data security, data integrity and operational efficiency for every financial year and shall submit the reports thereof to the Authority by thirtieth day of June following the end of the financial year.
- (11) The Coal Exchange shall with the approval of the Board, formulate and implement a cyber security and cyber resilience framework to manage risks to its systems, networks and databases from cyber-attacks and threats, and shall submit such framework to the Authority for information.
- (12) A security audit of the Information Technology systems shall be carried out each year by an organisation empaneled with Indian Computer Emergency Response Team.
- (13) The Coal Exchange shall establish and maintain a disaster recovery site and alternate trading facility to ensure business continuity in event of an emergency.

25. Information dissemination by Coal Exchange.— (1) The Coal Exchange shall display on its website links to all the relevant websites.

- (2) The Coal Exchange shall make available on its website in downloadable format regarding prices, volumes, transaction fees and historic prices of coal traded.
- (3) The Coal Exchange shall publish on its website the maximum, minimum and average of the traded prices for the month and average volume cleared for all types of contracts transacted.
- (4) The Coal Exchange shall publish on its website, data tables displaying the aggregate demand and supply curves for each type of contract.
- (5) The Coal Exchange shall provide details of all transactions, to the Authority on a monthly basis, in Form-F specified in the Schedule annexed to these rules.
- (6) The Coal Exchange shall submit to the Authority the bids of all participants together with any required analysis, as and when directed by the Authority.
- (7) The Coal Exchange shall organise, on a regular basis, member or client awareness programmes across the country.

- 26. Transaction reporting by Coal Exchange.**— The Coal Exchange shall submit the monthly details of all transactions on its platform, through a suitable electronic mode, to the Authority.
- 27. Market surveillance by Coal Exchange.**— (1) The Coal Exchange shall establish a surveillance department to carry out day-to-day monitoring and surveillance of transactions and to undertake the analysis specified in sub-rule (8).
- (2) The Coal Exchange shall ensure confidentiality of the all bids received on its platform.
- (3) The Coal Exchange shall constitute a market surveillance committee which shall be headed by an independent director of the Board and shall include members from the executive team of the Coal Exchange.
- (4) No member of market surveillance committee shall be a member of the Coal Exchange.
- (5) The Coal Exchange shall ensure that market surveillance are conducted from a physically secure and restricted area by authorised personnel.
- (6) The Coal Exchange shall maintain information, data security, and audio recording of conversations of personnel referred in sub-rule (5) for a period of two years and make them available to the Authority if so directed.
- (7) The surveillance department shall analyse the bidding patterns and transactions of participants and submit its analysis and report to the market surveillance committee.
- (8) The market surveillance committee shall submit quarterly surveillance report to the Authority within a period of thirty days after the end of every quarter.
- (9) The report under sub-rule (8) shall include an analysis of the following, namely:-
- (a) transaction pattern of the members of the Coal Exchange over a specific time period;
 - (b) daily, weekly, monthly volatility analysis of prices;
 - (c) price setter analysis of the buyer and seller;
 - (d) dominant position by market participants;
 - (e) monitoring of circular trading;
 - (f) a sudden high transaction volumes of the members of the Coal Exchange;
 - (g) a default by any member of the Coal Exchange;
 - (h) a market concentration in daily transactions; and
 - (i) marginal buyers and sellers whose volume was cleared at the margin.
- 28. Annual report.**— The Coal Exchange shall submit its annual report, together with its audited balance sheet, by the thirtieth September every year to the Authority.

- 29. Exit scheme.**— (1) At the time of registration, the Coal Exchange shall obtain the approval of the Authority for an exit scheme to be implemented in the event of its closure or revocation of registration.
- (2) The exit scheme shall provide for the following matters, namely:—
- the manner in which all running contracts on the Coal Exchange shall be closed or the succession plan for all transacted contracts; and
 - the manner in which the Coal Exchange shall settle any claims pertaining to pending arbitration cases, arbitration awards, liabilities or claims of contingent nature and unresolved investor complaints or grievances lying with it.
- 30. Revocation of registration of Coal Exchange.**— (1) The Authority may, for reasons to be recorded in writing and after giving the Coal Exchange an opportunity of being heard, revoke the registration granted to it in any of the following conditions, namely:—
- the functioning of the Coal Exchange is in violation of any terms and conditions of these rules or terms of its registration;
 - the shareholding of the Coal Exchange is in violation of the terms and conditions of these rules;
 - the Coal Exchange indulges in market manipulation or insider trading;
 - the net worth of the Coal Exchange falls below the specified amount as provided in rule 12;
 - the Coal Exchange fails to comply with any direction of the Authority; or
 - the Coal Exchange makes an application for revocation of its registration.
- (2) Subject to the revocation of the registration of the Coal Exchange, all contracts executed prior to such revocation shall remain valid and their performance shall be ensured by the Coal Exchange through the exit scheme as approved under rule 29.
- 31. Grievance redressal of members and clients.**— (1) The Coal Exchange shall constitute a grievance redressal forum, which shall be headed by an independent director.
- The Coal Exchange shall disclose, on its website, the details of complaints lodged by members against Coal Exchange and by clients against its members and status of resolution of the grievance.
 - The Coal Exchange shall also disclose the conflict resolution mechanism followed and the outcome of the grievance resolution on its website.
 - The Authority may call for information from the Coal Exchange regarding the redressal of any specific grievance.
 - Any unresolved grievance at the level of redressal forum shall be placed before the Authority.

Chapter IV

Market Oversight

- 32. Objectives of market oversight.**— The Authority shall maintain market oversight to –
- (a) detect and prevent market manipulation, insider trading, cartelisation and abuse of dominant position by any market participant;
 - (b) ensure that market participants have confidence in the integrity and fairness of Coal Exchange; and
 - (c) ensure that the prices are discovered in a transparent and competitive manner.
- 33. Procedure for market oversight.**— (1) The Authority shall undertake market oversight periodically as and when required.
- (2) The market oversight shall include, but need not limited to, the following, namely:—
- (a) the procedure for registration of market participants;
 - (b) the mechanism for collecting data from market participants;
 - (c) the details of market participants or any other entities who shall furnish information;
 - (d) the details of information to be furnished by the entities specified in clause (c);
 - (e) the periodicity and formats for reporting of information;
 - (f) measures to prevent any misuse of or unauthorised access to the information furnished by market participants;
 - (g) conducting analytics and market surveillance based on the data furnished by the market participants; and
 - (h) any other information as may be required by the Authority.
- (3) The Authority may order an inquiry or investigation in the event of any of the following circumstances, namely:—
- (i) non-compliance of the statutory obligations by market participants including,—
 - (a) violation or non-compliance of any of the provisions of these rules;
 - (b) non-compliance of the orders of the Authority issued for contravention of these rules; or
 - (c) delay or non-submission of information sought under sub-rule (2) or any other information sought by the Authority;
 - (ii) involvement of market participants in any of, the following activities,—
 - (a) market manipulation;
 - (b) any form of cartelisation;

(c) insider trading; or

(d) abuse of dominant position by any market participant.

34. Intervention by the Authority.— Upon receipt of any information or report under sub-rule (2) of rule 33, the Authority may, after giving concerned market participants an opportunity to make a representation in connection therewith and after considering representation, so made, by order,-

(a) require the concerned market participant to take such action in respect of any matter arising out of the report as the Authority may deem fit;

(b) debar the concerned market participant from participating in any of the contracts for such period as may be decided by the Authority;

(c) direct the Coal Exchange to cancel membership of a member; or

(d) suspend or cancel the registration of the Coal Exchange.

35. Circumstances requiring intervention.— (1) The Authority may, on being satisfied that any of the following circumstances exist in the market or are likely to occur, by an order, give such directions as may be necessary, namely:-

(i) abnormal increase or decrease in prices of coal;

(ii) sudden or unreasonable fluctuations or unwarranted changes in the prices of coal and high volatility;
or

(iii) sudden high transaction volumes on a Coal Exchange.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the power conferred under sub-rule (1), the Authority may, by order in writing,-

(a) impose a floor or cap price of coal in the Coal Exchange;

(b) suspend transaction activities for a cooling off period in case of increased volatility;

(c) suspend transaction in any specific contract on the Coal Exchange; or

(d) regulate the transaction fee charged by the Coal Exchange.

36. Power to issue interim orders.— Where, during an investigation or intervention, the Authority is satisfied that an act in contravention of these rules has been committed or is likely to be committed, the Authority may, by an order, after giving notice to the person concerned, temporarily restrain such person from carrying on that act until the conclusion of such investigation or intervention or until further orders.

37. Power of inspection.— (1) The Authority may, at any time, undertake an inspection, conduct inquiries or carry out an audit of any Coal Exchange, either through its officers or through a third-party agency.

(2) Where an inspection under sub-rule (1) is undertaken by the Authority, the Coal Exchange and every

director, manager, officer and any other employee thereof shall cooperate in such inspection, inquiry or audit.

38. Directions by the Authority.— (1) Without prejudice to the exercise of its powers under the Act and the rules made thereunder, the Authority may, suo-motu or on receipt of any information or during pendency of any inspection, inquiry or investigation or upon completion thereof, issue such directions as it deems fit in the interest of promoting competitive coal markets.

(2) The Authority may, from time to time, call for any information, documents or records from the Coal Exchange.

Chapter V

Miscellaneous

39. Procedure and Guidelines.— For the purposes of implementation of these rules and matters incidental thereto, the Authority may specify operating procedures and issue guidelines, in consultation with the Central Government.

SCHEDULE**FORM-A***[See sub-rule (1) of rule 7]***Application for Coal Exchange Registration****Submission Date:****1. Company Details****Company Name:****Constitution Type:****Corporate Identification Number (CIN):****Date of Incorporation:****Company PAN:****GST Number:****Registered Address:****City:****PIN:****State:****Company Email:****Details of Existing Businesses:****MOA Clause mentioning Coal Exchange:****2. Documents Attached** Certificate of Incorporation Company PAN GST Certificate Board Resolution Memorandum of Association Articles of Association Power of Attorney Authorised Signatory ID Proof

3. Authorised Signatory Details

Name:

Designation:

Mobile Number:

Email:

ID Proof Type:

4. Board of Directors

Director Name	Director Identification Number	DirectorType	CV Uploaded	Undertaking Uploaded	Pending Case Declaration

5. Shareholder Details

Shareholder Name	Designation	Number of Shares	Shareholding Percentage

6. Financial And Net Worth Details And Documents To Be Submitted

Net Worth (Figures):

Net Worth (Words):

 Special audited balance sheet Auditor certificate Last three years financial statements Annual report**7. Project Report And Bye-Laws Submission** Constitution document Business plan Governance structure Infrastructure plan

- Information Technology and Cybersecurity plan Delivery and logistics plan
- Market development plan Consolidated project report
- Draft operating procedures Draft bye-laws
- Additional documents

8. Application Fee Payment Details**Transaction Reference ID:****Transaction Date:****Bank Name:****Branch:****IFSC:****Amount Paid:****Payment Proof:****Declaration**

"I/We hereby declare that the information furnished above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief."

Applicant Signature:**Company Seal:****Date:****Place:****For Office Use Only****Application Received On:****Application Number:****Verified By:****Status:** Approved Rejected**Checked By:****Remarks:** Under Review

FORM-B

Application for renewal of registration

[See sub-rule (3) of rule 9]

To
The Coal Controller
Coal Controller Organisation (CCO)
Ministry of Coal
Government of India

Subject:
Application for renewal of registration of Coal Exchange under rule 9 of the Coal Exchange Rules, 2026.

Sir/Madam,

1. We/I on behalf of _____ (name and address of the Coal Exchange) hereby apply for renewal of registration of the Coal Exchange under the Coal Exchange Rules, 2026.
2. Two copies of the Memorandum and Articles of Association relating to the constitution and management of the Coal Exchange and two copies each of the bye-laws and operating procedures governing the Coal Exchange, as per the guidelines for bye-laws and operating procedures are enclosed.
3. All information required in this application is enclosed. Any additional information shall be furnished as and when called for by the Coal Controller Organisation.
4. We/I undertake that the Coal Exchange complies with the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Coal Exchange Rules, 2026, and all applicable guidelines, orders and directions issued by the Coal Controller Organisation or Ministry of Coal from time to time.
5. Proof of payment of the prescribed fee is enclosed.

Yours faithfully

Authorised Signatory
(Name and designation)
for and on behalf of
(Name of the Coal Exchange)

Annexure to renewal form

1. Details of the Coal Exchange

Provide the following details:

- Name of the Coal Exchange
- Registered Office address
- Corporate Office address
- Contact details (email and telephone)
- Website address

Attachments:

- Certificate of Incorporation
- Memorandum of Association
- Articles of Association

2. Registration Details

Provide details of the existing registration granted by the Coal Controller Organisation, including:

- Date of grant of registration
- Validity period of registration
- Date of commencement of operations of the Coal Exchange.

3. Ownership Structure

Provide details of the current shareholding pattern of the Coal Exchange.

Attachments:

- Shareholding pattern of the Coal Exchange
- Certificate confirming compliance with ownership limits under the Coal Exchange Rules, 2026.

4. Governance Structure

Provide details of the Board of Directors of the Coal Exchange, including:

- Number of directors
- Number of independent directors
- Number of shareholder directors
- Managing director details
- Provide confirmation that the composition of the Board complies with the Coal Exchange Rules, 2026.

5. Net Worth Compliance

Provide details of the net worth of the Coal Exchange.

Attachments:

- Auditor's certificate confirming net worth of at least fifty crore rupees in accordance with the Coal Exchange Rules, 2026.

6. Financial Statements

Attachments:

- Annual reports of the Coal Exchange for the preceding three financial years
- Audited balance sheet
- Profit and loss account.

7. Operational Performance

Provide a summary of the functioning of the Coal Exchange during the period of registration, including:

- Market participants and members
- Coal supply contracts traded
- Market development initiatives.

8. Infrastructure and Technology

Provide details of:

- Trading platform and Information Technology infrastructure
- Cyber-security and data protection systems
- Disaster recovery and business continuity arrangements.

9. Bye-laws and Operating Procedures

Attachments:

- Latest bye-laws of the Coal Exchange approved by the **Coal Controller Organisation**
- Latest operating procedures of the Coal Exchange

Provide details of any amendments made since the grant of registration.

10. Compliance Statement

Provide a statement confirming compliance with the Coal Exchange Rules, 2026 and applicable guidelines issued by the Coal Controller Organisation.

